

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जून 2016—आषाढ़ 3, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मई 2016

क्र. ई-5-479-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रभांशु कमल, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 1 से 5 जुलाई 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 6 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री प्रभांशु कमल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती गौरी सिंह, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं

पुनर्वास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रभांशु कमल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री प्रभांशु कमल द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती गौरी सिंह, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य रहते रहते.

2233

क्र. ई-5-768-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संदीप यादव, आयएएस., आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश को दिनांक 1 से 10 जून 2016 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री संदीप यादव की अवकाश अवधि में श्री नीतेश कुमार व्यास, भाप्रसे, आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास तथा पर्यावरण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संदीप यादव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री संदीप यादव द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीतेश कुमार व्यास उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री संदीप यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संदीप यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-919-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. जे. विजय कुमार, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मण्डला को दिनांक 6 से 17 जून 2016 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 जून 2016 एवं 18, 19 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. जे. विजय कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मण्डला के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में डॉ. जे. विजय कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. जे. विजय कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-924-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छतरपुर को दिनांक 20 से 25 जून 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ

दिनांक 18, 19 जून 2016 एवं 26 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रमोहन ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 26 मई 2016

क्र. ई-1-178-2016-5-एक.—श्री अजय सिंह गंगवार, भा.प्र.से. (2005), कलेक्टर, जिला बड़वनी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-5-454-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. पी. सिंह, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 28 मई से 4 जून 2016 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री बी. पी. सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री रजनीश वैश्य, भाप्रसे, उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड तथा विकअ-सह-सदस्य (पुनर्वास) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. पी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री बी. पी. सिंह द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रजनीश वैश्य उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री बी. पी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. पी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-570-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 24 मई से 1 जून 2016 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री अजीत केसरी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री पी.सी. मीना, भाप्रसे, कृषि उत्पादन आयुक्त को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अजीत केसरी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. सी. मीना उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-693-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अरूण तिवारी, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग को दिनांक 6 से 10 जून 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 एवं 11, 12 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री अरूण तिवारी की अवकाश अवधि में श्री व्ही. के. बाथम, भाप्रसे, प्रमुख सचिव संसदीय कार्य विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण तिवारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अरूण तिवारी द्वारा प्रमुख सचिव, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. के. बाथम, प्रमुख सचिव, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अरूण तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-732-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आकाश त्रिपाठी, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर को दिनांक 1 से 4 जून 2016 तक,

चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री आकाश त्रिपाठी की अवकाश अवधि में श्री विवेक पोरवाल, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आकाश त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विवेक पोरवाल, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आकाश त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आकाश त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-836-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. के. अग्रवाल, आयएएस., कलेक्टर, जिला खण्डवा को दिनांक 2 से 17 जून 2016 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 जून 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री एम. के. अग्रवाल, की अवकाश अवधि में श्री अनुराग सक्सेना, भाप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला खण्डवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला खण्डवा का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एम. के. अग्रवाल द्वारा कलेक्टर, जिला खण्डवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनुराग सक्सेना, कलेक्टर, जिला खण्डवा के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एम. के. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 27 मई 2016

क्र. ई-5-865-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री व्ही. किरण गोपाल, आयएएस., मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं संचालक, एड्स तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड को दिनांक 6 से 10 जून 2016 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 जून 2016 एवं 11, 12 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री व्ही. किरण गोपाल की अवकाश अवधि में मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं संचालक, एड्स का प्रभार श्रीमती जयश्री कियावत, भाप्रसे, आयुक्त, महिला सशक्तिरण मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. किरण गोपाल, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं संचालक, एड्स तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री व्ही. किरण गोपाल द्वारा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं संचालक, एड्स तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती जयश्री कियावत, भाप्रसे केवल मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं संचालक, एड्स उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री व्ही. किरण गोपाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री व्ही. किरण गोपाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 30 मई 2016

क्र. ई-1-188-2016-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भा. प्र. से. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती नीलम शमी राव (1992), पदस्थापना के लिए प्रतिक्षारत.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल.

(1)

(2)

(3)

2 डॉ. एम. के. अग्रवाल (2000), कलेक्टर, खण्डवा.

आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

3 श्रीमती स्वाति मीणा नायक (2007), कलेक्टर, खण्डवा अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल.

4 श्री तेजस्वी एस. नायक (2009), कलेक्टर, बड़वानी अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन उपसचिव. मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग.

(2) उपरोक्तानुसार डॉ. एम. के. अग्रवाल, भाप्रसे (2000) द्वारा आयुक्त, कोष एवं लेखा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनिरुद्ध मुकर्जी, भाप्रसे (1993), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग केवल आयुक्त, कोष एवं लेखा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 1 जून 2016

क्र. ई-5-479-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रभांशु कमल, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 25 जनवरी 2016 से 10 मार्च 2016, 2 अप्रैल 2016, 7 अप्रैल एवं 4 मई 2016 कुल पांच दिन अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 2 जून 2016

क्र. ई-1-178-2016-5-एक.—श्री अजय सिंह गंगवार, भा.प्र.से. (2005), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय को, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग पदस्थ किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 3 जून 2016

क्र. ई-5-709-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सीमा शर्मा, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 18 से 23 जुलाई 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश

स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 जुलाई 2016 एवं 24 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सीमा शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सीमा शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सीमा शर्मा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-1004-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री दीपक सिंह, आयएस., अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर को दिनांक 6 से 10 जून 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 जून 2016 एवं 11, 12 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री दीपक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 4 जून 2016

क्र. ई-5-821-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. सुहेल अली, आयएस., सचिव, राजस्व मंडल, ग्वालियर को दिनांक 6 से 10 जून 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 5 एवं 11, 12 जून 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. सुहेल अली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) श्री एस. सुहेल अली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. सुहेल अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 6 जून 2016

क्र. ई-5-565-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती गौरी सिंह, आयएस., प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गैस त्रांसदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 2 अप्रैल 2016 द्वारा दिनांक 13 जून से 2 जुलाई 2016 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए उन्हें अब दिनांक 20 जून 2016 से 2 जुलाई 2016 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 जून 2016 एवं दिनांक 3 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्रीमती गौरी सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री पंकज अग्रवाल, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती गौरी सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गैस त्रांसदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती गौरी सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गैस त्रांसदी राहत एवं पुनर्वास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पंकज अग्रवाल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती गौरी सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती गौरी सिंह, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-842-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. पी. एस. सलूजा, आयएस., अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर को दिनांक 13 से 17 जून 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 जून 2016 एवं 18, 19 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. पी. एस. सलूजा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एस. पी. एस. सलूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. पी. एस. सलूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-882-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती शिल्पा गुप्ता, आयएस., अपर परियोजना संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को दिनांक 3 से 10 जून 2016 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 12 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिल्पा गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर परियोजना संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती शिल्पा गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिल्पा गुप्ता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-896-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राजेन्द्र सिंह, आयएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म. प्र. मेला तीर्थ प्राधिकरण तथा राजस्व विभाग को दिनांक 20 से 25 जून 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म. प्र. मेला तीर्थ प्राधिकरण तथा राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-901-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. डी. अग्रवाल, भाप्रसे (2002) अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग, मंत्रालय, भोपाल को दिनांक 20 जून से 15 जुलाई 2016 तक, छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 जून 2016 एवं 16, 17 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. डी. अग्रवाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री डी. डी. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. डी. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-928-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनुराग वर्मा, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना को दिनांक 13 से 17 जून 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 जून 2016 एवं 18, 19 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग वर्मा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनुराग वर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग वर्मा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-941-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मुकेश कुमार शुक्ला, आयएस., कलेक्टर, शहडोल को दिनांक 18 से 20 मई 2016 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री मुकेश कुमार शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकेश कुमार शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-964-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ऋषि गर्ग, आयएस., अनुविभागीय अधिकारी, (नरसिंहगढ़), जिला राजगढ़ को दिनांक 6 से 25 जून 2016 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 जून 2016 एवं 26 जून 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री ऋषि गर्ग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, (नरसिंहगढ़), जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री ऋषि गर्ग को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ऋषि गर्ग, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 8 जून 2016

क्र. ई-5-575-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. एन. मिश्रा, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को दिनांक 8 से 25 जून 2016 तक, अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री एस. एन. मिश्रा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री व्ही. एल. कांताराव, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, विकअ-सह-आयुक्त, उद्योग, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम, वस्त्र निगम तथा लघु उद्योग निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एन. मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एस. एन. मिश्रा द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. एल. कांताराव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एस. एन. मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री एस. एन. मिश्रा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 9 जून 2016

क्र. ई-5-869-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजय गुप्ता, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिनांक 3 से 10 जून 2016 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 12 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजय गुप्ता को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अजय गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 7 जून 2016

क्र.एफ 5-25-2011-एक.—(1) उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री मूलचंद गर्ग, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर, खण्डपीठ ग्वालियर को निर्मांकित विवरण अनुसार कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 16 से 26 फरवरी 2016 तक.	11	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव।

भोपाल, दिनांक 30 मई 2016

क्र. ई-5-837-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल को दिनांक 29 अप्रैल से 4 मई 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुनीता त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-912-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. विजयदत्ता, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट को दिनांक 21 से 30 अप्रैल 2016 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री बी. विजयदत्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. विजयदत्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-985-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री तन्वी हुड्डा, आयएस., सहायक कलेक्टर, जिला रतलाम को दिनांक 10 से 13 मई 2016 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8, 9 मई 2016 एवं 14, 15 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में सुश्री तन्वी हुड्डा, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री तन्वी हुड्डा, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 1 जून 2016

क्र. ई-5-649-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रश्मि अरूण शमी, आयएस., सचिव, (कार्मिक), मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को समसंख्यक आदेश 12 मई 2016 द्वारा दिनांक 23 से 26 मई 2016 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया था, मैं आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 23 से 25 मई 2016 तक, तीन का संशोधित/पुनरीक्षित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 12 मई 2016 अनुसार यथावत्।

क्र. ई-5-772-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री पी. नरहरि, आयएस., कलेक्टर, जिला इन्दौर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 मई 2016 द्वारा दिनांक 25 मई से 2 जून 2016 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक"

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जून 2016

क्र. एफ 1(ए)399-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री सी.व्ही. मुनिराजू, भा.पु.से., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एन्टी नक्सलाईट ऑपरेशन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल का स्वास्थ्य खराब हो जाने कारण उन्हें दिनांक 26 मार्च से 22 मई 2016 तक, अठारह दिवस लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 116 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सी.व्ही.मुनिराजू, भा.पु.से., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

फा. क्र. 1 अ-1-15-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, महाधिवक्ता के परामर्श से उच्च न्यायालय में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से पैरवी करने के लिए निम्नलिखित अधिवक्ताओं को अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर में उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए पद पर शासन द्वारा निर्धारित मासिक पारिश्रमिक पर दिनांक 12 जून से 31 जुलाई 2016 तक की अवधि के लिए पूर्ववर्ती शर्तों पर पुनर्नियुक्त करता है:—

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर
उप महाधिवक्ता पद हेतु

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1	श्री पुष्यमित्र भार्गव	उप महाधिवक्ता
2	श्री दीपक रावेल	उप महाधिवक्ता

विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1	सुश्री मिनी रविन्द्रन	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता
2	श्री मिलिन्द कुमार फडके	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता
3	श्री योगेश मित्तल	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता
4	श्री रोहित कुमार मंगल	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता
5	श्री भुवन देशमुख	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता
6	श्री मुकेश परवाल	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता

उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1	श्री अनिकेत अभय नायक	उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता।

(1)	(2)	(3)
2 श्री पियूष जैन	उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिकारिता.	
3 पृथा मोइत्रा	उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिकारिता.	
4 श्री रोमेश दबे	उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिकारिता.	
5 श्रीमती ममता शांडिल्य	उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिकारिता.	
6 श्री अमित सिंह सिसौदिया.	उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिकारिता.	

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों के वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 1 अ-1-15-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, महाधिवक्ता के परामर्श से उच्च न्यायालय में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से पैरवी करने के लिए निम्नलिखित अधिवक्ताओं को अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर में उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए पद पर शासन द्वारा निर्धारित मासिक पारिश्रमिक पर दिनांक 12 जून से 31 जुलाई 2016 तक की अवधि के लिए पूर्ववर्ती शर्तों पर पुनर्नियुक्त करता है:—

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर
उप महाधिवक्ता पद हेतु

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1 श्री विशाल मिश्रा	उप महाधिवक्ता	
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता		
क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1 श्री प्रबल प्रताप सिंह	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता	
2 श्री राजेन्द्र सिंह यादव	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता	
3 श्री भानु प्रताप सिंह	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता	
4 श्री कमल जैन	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता	
5 श्री प्रवीण निवस्कर	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता	
6 श्रीमती संगीता पचौरी	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता	
7 श्री आर.बी.एस. तोमर	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता	
8 श्री समीर जैन	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता	

उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1 डा. अंजली ज्ञानानी	उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिकारिता.	
2 श्री राजेश शुक्ला	उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिकारिता.	
3 श्री आर. पी. गुप्ता	उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिकारिता.	
4 श्री अमित बंसल	उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिकारिता.	

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों के वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 3(ए)04-2016-2174-इक्कीस-ब(एक).—उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री प्रताप कुमार तिवारी, तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी (वर्तमान में निलंबन के दौरान मुख्यालय, जबलपुर) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके विरुद्ध गंभीर कदाचरण के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा फुलकोर्ट मीटिंग (by circulation) दिनांक 26 अप्रैल 2016 में पारित प्रस्ताव द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से पदच्युत (Dismissal from service) किये जाने की अनुशंसा की गई है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री प्रताप कुमार तिवारी, तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी (वर्तमान में निलंबन के दौरान मुख्यालय, जबलपुर) को सेवा से पदच्युत (Dismissal from service) किया जाए.

अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील), नियम 1966 के नियम 10 के उपनियम (ix) के अन्तर्गत दीर्घ शास्ति अधिरोपित करते हुए एतद्वारा, राज्य शासन श्री प्रताप कुमार तिवारी, तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी (वर्तमान में निलंबन के दौरान मुख्यालय, जबलपुर) को तत्काल प्रभाव से सेवा से पदच्युत (Dismissal from service) करता है.

भोपाल, दिनांक 13 जून 2016

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब(एक)-2081-2016.—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का सं. 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89-इक्कीस-अ(एक), दिनांक 3 अप्रैल 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 9, 11, 12, 21, 23, 29, 36, 38, 51 एवं 52 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (2)	विशेष न्यायालय (3)	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड (4)
“9.	श्री एम. के. शर्मा, सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सागर	सागर	सागर
11.	श्री बी. एस. रावत, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर
12.	श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, पन्ना.	पन्ना	पन्ना
21.	श्रीमती तृप्ति शर्मा, चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायसेन	रायसेन	रायसेन
23.	श्रीमती वंदना जैन, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विदिशा	विदिशा	विदिशा
29.	कु. सुमन श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बैतूल	बैतूल	बैतूल
36.	श्री रितुराज बसंत कुमार, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, राजगढ़.	राजगढ़	राजगढ़
38.	श्री भरत सिंह, ओहरिया, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, रतलाम.	रतलाम	रतलाम
51.	श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर	अलीराजपुर	अलीराजपुर
52.	श्रीमती सुनीता यादव, सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर	अशोकनगर	अशोकनगर.”

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 1-6-89-XXI-B-(1) 2081-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification No. F. 1-6-89-XXI-A(1) dated 3rd April 1998, which was published, in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated the 17th April 1998, nemely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule for Serial No. 9, 11, 12, 21, 23, 29, 36, 38, 51 and 52 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name and Designation of the Judge	Special Court	Local area Session Divisions
(1)	(2)	(3)	(4)
“9.	Shri M. K. Sharma, VIIth Additional Sessions, Judge, Sagar.	Sagar	Sagar
11.	Shri B. S. Rawat, IInd Additional Sessions Judge, Chhatarpur.	Chhatarpur	Chhatarpur

(1)	(2)	(3)	(4)
12.	Shri Prakash Chandra Gupta, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Panna.	Panna	Panna
21.	Smt. Tripti Sharma, IVth Additional Sessions Judge, Raisen.	Raisen	Raisen
23.	Smt. Vandana Jain, 1st Additional Sessions Judge, Vidisha.	Vidisha	Vidisha
29.	Ku. Suman Shrivastava, IInd Additional Sessions Judge, Betul.	Betul	Betul
36.	Shri Rituraj Basant Kumar, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Rajgarh.	Rajgarh	Rajgarh
38.	Shri Bharat Singh Ohariya, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Ratlam.	Ratlam	Ratlam
51.	Shri Rajendra Kumar Verma, Sessions Judge, Alirajpur.	Alirajpur	Alirajpur
52.	Smt. Sunita Yadav, Sessions Judge, Ashok Nagar	Ashok Nagar	Ashok Nagar."

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this Notification assumes the charge of his office in the said Court.

भोपाल, दिनांक 15 जून 2016

फा. क्र. 3(ए)5-2016-इक्कीस-ब(एक)-2203.—राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री दिलीप कुमार मिश्र, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को उनके द्वारा दिनांक 4 मई 2016 को प्रस्तुत सूचना पत्र के अनुक्रम में मध्यप्रदेश डिस्ट्रीक्ट एवं सेशन जजेस (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनेफिट) रूल्स, 1964 के नियम 2,3 सहपठित ऑल इंडिया सर्विसेस (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनेफिट) रूल्स 1958 के नियम 16 (2-ए) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय की अनुशांसा पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 4 अगस्त 2016 के अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जून 2016

पंजी क्र. 1545-2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, जिला मुख्यालय-दतिया में नियुक्त नोटरी, श्री पुरुषोत्तम दास दुबे का दिनांक 9 नवम्बर 2015 को निधन होने के फलस्वरूप, नोटरी नियुक्ति आदेश दिनांक 2 जनवरी 2006 एवं नवीनीकरण आदेश दिनांक 17 दिसम्बर 2015 को अपास्त करते हुए श्री पुरुषोत्तम दास दुबे का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

फा. क्र. 1(सी)09-इक्कीस-ब(दो)-1921-2016.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 52 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा

(8) एवं मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम 2012 के नियम 7 (1) एवं नियम 8 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा श्री अशोक सोनी, उप संचालक अभियोजन, इन्दौर को मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण एवं प्राधिकृत अधिकारी, इन्दौर के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से संचालन हेतु पदस्थापना ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि अथवा अन्यत्र आदेश होने तक के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है..

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य, सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मई 2016

क्र. एफ-10-17-2016-बी-ग्यारह.—राज्य शासन, एतद्वारा, परियोजना रोजगार कार्यालय, सिंगरौली एवं नगर रोजगार कार्यालय, बुरहानपुर का नाम परिवर्तित कर क्रमशः जिला रोजगार कार्यालय, सिंगरौली एवं जिला रोजगार कार्यालय, बुरहानपुर किये जाने की अनुमति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जून 2016

क्र. एफ-11-13-2016-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है।

2. अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है।

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	रीवा	रायपुर कलचुरियान.	पटना	शिवमंदिर (श्री शंकर भगवान का मडफा मंदिर).	527 526 523 760	0.11/0045 हे. (पूरा) 30 मी. 30 मी. 33 मी.	म. प्र.शासन	हां

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश प्रसाद मिश्र, सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जून 2016

क्र. एफ 4(ई)4-12-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27 सन् 1960) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(ई) 4-2012-ए-सोलह, दिनांक 27 अगस्त 2015 जो मध्यप्रदेश के राजपत्र के भाग 1 में दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को प्रकाशित हुई थी, अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, नीचे दी गई प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित व्यक्तियों को क्रमशः श्रम अधिकारी तथा उप श्रम अधिकारी नियुक्त करती है, अर्थात्:—

प्रथम अनुसूची

अ. क्र. अधिकारी का नाम

(1) (2)

1. श्री आर. जी. पाण्डेय
2. श्री प्रभात दुबे
3. श्री एल. पी. पाठक
4. श्री आर. एस. यादव
5. श्री एच. सी. मिश्रा
6. श्री जे. एस. उद्दे
7. श्री एस. एस. दीक्षित
8. श्री आशीष पालीवाल
9. श्री भगवत प्रसाद
10. श्रीमती नीलम सिंह
11. श्रीमती मेघना भट्ट
12. श्रीमती पी. जासेमिन अली
13. श्री भानुप्रताप सिंह
14. डॉ. जी. डी. द्विवेदी
15. श्री कीर्ति कुमार गुप्ता
16. श्रीमती रजनी मालवीय
17. श्रीमती संध्या सिंह
18. श्री एच. के. अहिरवार

(1) (2)

19. श्री एल. पी. धनोलिया
20. श्री चिरंजीत सिंह कुशवाह
21. श्री अरविन्द्र प्रकाश सक्सेना
22. श्री शैलेन्द्र सिंह सोलंकी
23. श्रीमती राखी जोशी
24. श्री दशरथ लाल सूर्यवंशी
25. श्री हेमचंद्र गुप्ता
26. श्री टी. डी. चौबे
27. श्री गोपाल स्वामी
28. श्री के. के. चौधरी
29. श्री अमर सिंह अलावा
30. श्री साहेबराव सेंदाणे
31. श्री अनिल भोर
32. श्री बालादीन अहिरवार
33. श्री कुशल कुमार मतकर
34. श्री प्रेमनाथसिंह बघेल
35. श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा
36. श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा
37. श्री सतीशचंद्र दुबे
38. श्री सुनील हेमराज जैन
39. श्री रमेशचंद्र बेनवाल
40. श्री कुशलसिंह मुजालदा
41. श्री दिनेश कुमार दालोद्रा
42. श्री नीलेश कुमार निगम
43. श्री के. एम. खिची

द्वितीय अनुसूची

अ. क्र. अधिकारी का नाम

(1) (2)

1. श्री देवीसिंह भदौरिया
2. श्री रामसंजीवन बुनकर
3. श्री विक्रमसिंह मण्डलोई
4. श्री के. पी. राकेश

(1) (2)

भोपाल, दिनांक 8 जून 2016

5. श्री जी. पी. परमार
6. श्री सखाराम ठाकुर
7. श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी
8. श्री हरिनारायण शर्मा
9. श्री देवीसिंह चौहान
10. श्री राजेश कुमार मिश्रा
11. श्री रामप्रकाश गर्ग
12. श्री रामगोपाल रजक
13. श्री रामचरण संतोरे
14. श्री दिनेशकुमार जैन
15. श्री गुलरेज अहमद सिद्धिकी
16. श्री सुभाषचंद्र पटेल
17. श्री रूद्रप्रताप सिंह
18. श्री मनोज कुमार मिश्रा
19. श्री संजय आर्य
20. श्री राजेश कुमार गुप्ता
21. श्री ज्ञानसिंह मेहदले
22. श्री मोहन प्रसाद दुबे
23. श्री महेन्द्र सिंह बुंदेला
24. श्री केदारनाथ कस्तोर
25. श्री धन्यकुमार जैन
26. श्री शिवनारायण सांगुल्ले
27. श्री शंभुप्रसाद चक्रवर्ती
28. श्री देवेन्द्र प्रसाद बाजपेयी
29. श्री घनश्याम गुप्ता
30. श्री प्रकाशचंद्र गुप्ता
31. श्री शैलेन्द्र मोहन पटेरिया
32. श्री ब्रजेश कुमार तिवारी
33. श्री गणेश प्रसाद जाटव
34. श्री राधाकिशन लोधी

क्र. एफ 4(ई)4-12-ए-सोलह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 4(ई)4-12-ए-सोलह, दिनांक 8 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वाष्णीय, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 8th June 2016

No. F4(E)4-12-A-XVI.—In exercise of the Powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Madhya Pradesh Industrial Relation Act, 1960 (No. 27 of 1960) and in superession of this Department's Notification No. 4(E)-4-2012-A-XVI, Dated 27th August 2015 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I on 11th September 2015 the State Government, hereby, appoints persons, mentioned in column (2) of the First Schedule and the Second Schedule given below to be the Labour Officers and Deputy Labour Officers respectively, namely:—

FIRST SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Officer (2)
1.	Shri R. G. Pandey
2.	Shri Prabhat Dubey
3.	Shri L. P. Pathak
4.	Shri R. S. Yadav
5.	Shri H. C. Mishra
6.	Shri J. S. Uddey
7.	Shri S. S. Dixit
8.	Shri Ashish Paliwal
9.	Shri Bhagwat Prasad
10.	Smt. Neelam Singh
11.	Smt. Meghna Bhatt
12.	Smt. P. Jasemin Ali
13.	Shri Bhanu Pratap Singh
14.	Shri G. D. Dwivedi
15.	Shri Kirti Kumar Gupta
16.	Smt. Rajni Malviya
17.	Smt. Sandhya Singh
18.	Shri H.K. Ahirwar
19.	Shri L. P. Dhanoliya
20.	Shri Chiranjitsing Kushwah

उक्त अनुसूचियों में उल्लेखित अधिकारियों में से निर्लंबित, सेवा-निवृत्त एवं अवकाश पर गये अधिकारियों को ऐसी अवधि में अधिकार प्रत्यायोजित नहीं किये जायेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वाष्णीय, प्रमुख सचिव.

(1)	(2)	(1)	(2)
21.	Shri Arvind Prakash Saxena	13.	Shri Ramcharan Santore
22.	Shri Shailendra Singh Solanki	14.	Shri Dinesh Kumar Jain
23.	Smt. Rakhi Joshi	15.	Shri Gulrej Ahmed Siddique
24.	Shri Dasrathlal Suryavanshi	16.	Shri Subhaschandra Patel
25.	Shri Hemchandra Gupta	17.	Shri Rudraprattap Singh
26.	Shri T. D. Choubey	18.	Shri Manoj Kumar Mishra
27.	Shri Gopal Swami	19.	Shri Sanjay Arya
28.	Shri K. K. Choudhary	20.	Shri Rajesh Kumar Gupta
29.	Shri Amar Singh Alawa	21.	Shri Gyan Singh Mehdele
30.	Shri Shaeb Rao Sendane	22.	Shri Mohan Prasad Dubey
31.	Shri Anil Bhor	23.	Shri Mahendra Singh Bundela
32.	Shri Baladin Ahirwar	24.	Shri Kedar Prasad Kastor
33.	Shri Kousal Kumar Matkar	25.	Shri Dhaney Kumar Jain
34.	Shri Preamnath Singh Bhagel	26.	Shri Shiv Narayan Sangule
35.	Shri Rajendra Kumar Mishra	27.	Shri Sumbhu Prasad Chakravarti
36.	Shri Narendra Kumar Varma	28.	Shri Devendra Prasad Bajpai
37.	Shri Satish Chandra Dubey	29.	Shri Ghanshyam Das Gupta
38.	Shri Sunil Hemraj Jain	30.	Shri Prakash Chandra Gupta
39.	Shri Ramesh Chandra Benwal	31.	Shri Shelendra Mohan Pateria
40.	Shri Kushal Singh Muzalda	32.	Shri Brajesh Kumar Tiwari
41.	Shri Dinesh Kumar Dalodra	33.	Shri Ganesh Prasad Jatav
42.	Shri Nilesh Kumar Nigam	34.	Shri Radhakishan Lodhi.
43.	Shri K. M. Khichi		

The officers mentioned in above schedule who are under suspension, superannuated or on leave, shall not be delegated such powers during such period.

SECOND SCHEDULE

S. No. Name of the Officer

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
M. K. VARSHNEY, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 3 जून 2016

- | (1) | (2) |
|-----|----------------------------|
| 1. | Shri Devi Singh Bhadoriya |
| 2. | Shri Ram Sajivan Bunkar |
| 3. | Shri Vikaram Singh Mandloi |
| 4. | Shri K. P. Rakesh |
| 5. | Shri G. P. Parmar |
| 6. | Shri Sakharam Thakur |
| 7. | Shri Rajendra Kumar Tiwari |
| 8. | Shri Harinarayan Sharma |
| 9. | Shri Devi Singh Chouhan |
| 10. | Shri Rajesh Kumar Mishra |
| 11. | Shri Ramprasad Garg |
| 12. | Shri Ramgopal Rajak |

क्र. एफ-9-2-2000-ब-सोलह.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिसूचना, 1948 (34 सन् 1948) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 मई 2009 के अनुक्रम में मेसर्स ए.सी.ई. कटनी रिफ्रेक्टरी वर्क्स कटनी को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि के लिए इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि आवेदक पूर्व से विद्यमान चिकित्सकीय सुविधाओं का स्तर पूर्ववत् रखेगा तथा यथासंभव उसे उन्नत करेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मिलिन्द गणवीर, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 जून 2016

क्रमांक: एफ-4ई-2/2015/ए-16 मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण एवं उपबंध अधिनियम, 2015 (क्रमांक 21 सन् 2015) की धारा 5 के खण्ड (एक) द्वारा यथा संशोधित भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28) की धारा 3 की उपधारा (1) क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित मदों को नियोजक द्वारा उपगत सन्निर्माण की लागत से अपवर्जित करती है, अर्थात् :-

- (एक) लाभ ;
- (दो) आयकर देयता ;
- (तीन) वित्तीय लागत ;
- (चार) न्यूनतम वैधानिक उपबंधों से परे किए गए कर्मचारियों के कल्याण पर उपगत व्यय;
- (पांच) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)के अधीन छूट प्राप्त दान;
- (छह) कर्मचारियों श्रमिकों के वेतन तथा मजदूरी को छोड़कर विज्ञापन एवं व्यापार वृद्धि हेतु किए गए खर्च;
- (सात) लेखापरीक्षा शुल्क;
- (आठ) निविदा खर्च;
- (नौ) पूजा खर्च;
- (दस) कानूनी प्रभार एवं शुल्क;
- (ग्यारह) आस्तियों की बिक्री पर घाटा तथा अपलिखित डूबंत ऋण;
- (बारह) ऐसे इलैक्ट्रिक एवं इलैक्ट्रानिक उपकरण जो फर्नीचर और फिक्सचरों की श्रेणी की परिधि में न आते हों;

स्पष्टीकरण:- किसी सन्निर्माण में प्रयुक्त संयंत्रों एवं मशीनरी की लागत निम्नलिखित रीति में सन्निर्माण की लागत में सम्मिलित की जा सकेगी, अर्थात्:-

- (1) यदि संयंत्र एवं मशीनरी सन्निर्माण कार्य के लिए किराए पर लिए गए हैं तो परियोजना कालावधि के दौरान दिया गया किराया ।
- (2) यदि संयंत्र एवं मशीनरी खरीदी गई है अथवा स्वयं की है तो परियोजना कालावधि के दौरान उपगत अवक्षयण ।

No. F-4E-2/2015/A-XVI, In exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 3 of the Building And Other Construction Workers Welfare Cess Act, 1996 (28 of 1996), the State Government, hereby, excludes the following items from the cost of construction incurred by an employer, namely:-

- (i) Profit;
- (ii) Income tax liability;
- (iii) Cost of finance;
- (iv) Expenses on staff welfare incurred beyond minimum statutory provisions;
- (v) Donation as exempted under Income Tax Act, 1961 (43 of 1961);
- (vi) Advertising and business promotion expenses except salaries and wages of employees/Labourers;
- (vii) Audit fees;
- (viii) Tender expenses;
- (ix) Puja expenses;
- (x) Legal charges and fees;
- (xi) Loss on sale of assets and bad debts written off;
- (xii) Electric and electronic appliances not covered under the category of Furnitures and Fixtures;

Explanation:- The cost of plant and machinery used in any construction shall be included in the cost of construction in the following manner, namely:-

- (1) If plant and machinery are hired for construction work, hiring charges during the project period.
- (2) If plant and machinery are purchased or owned, the depreciation incurred during the project period.

क्रमांक: एफ-4ई-2/2015/ए-16 मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 2015 (क्रमांक 21 सन् 2015)की धारा 5 के खण्ड (दो) द्वारा यथासंशोधित भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वह रीति विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें अपील की जाएगी, अर्थात्:-

- (1) धारा 5 के अधीन किए गए निर्धारण के किसी आदेश से अथवा धारा 12 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी आदेश से व्यथित कोई नियोक्ता ऐसे आदेश की प्राप्ति से तीन माह के भीतर उस आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा ।
- (2) अपील के साथ निम्नलिखित संलग्न किए जाएंगे;-
 - (क) आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है;
 - (ख) उपकर कलक्टर से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि, ऐसी अपील से संबंधित, यथास्थिति, उपकर अथवा शास्ति अथवा दोनो की अविवादित रकम जमा की जा चुकी है;
 - (ग) उपकर की विवादित रकम का 25 प्रतिशत;
 - (घ) ऐसी अपील के अधीन, यथास्थिति, विवादित रकम अथवा शास्ति अथवा दोनो के एक प्रतिशत के समकक्ष शुल्क के जमा की रसीद;
 - (ङ) विवादित बिन्दुओं का कथन;

(च) ऐसे दस्तावेज जो उपकर की विवादित राशि एवं उन मदों की लागत जो विवादित हों, स्पष्ट: दर्शित करती हो;

(छ) दस्तावेजी साक्ष्य जो विश्वसनीय हों।

(3) यदि ऐसी अपील स्वीकार कर ली गई है तब खण्ड (2) के उपखण्ड (ग) के अधीन यथावर्णित विवादित उपकर की 25 प्रतिशत रकम ऐसे आदेश को बोर्ड प्रस्तुत करने की तारीख से एक माह की कालावधि के भीतर अपीलार्थी के वापस कर दी जाएगी।

(4) यदि ऐसी अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई है तब खण्ड (2) के उपखण्ड (ग) के अधीन यथावर्णित विवादित उपकर की 25 प्रतिशत रकम यथास्थिति,—

(एक) भुगतान योग्य अतिशेष उपकर के विरुद्ध पूर्णतः समायोजित की जाएगी और उपकर की शेष रकम निर्धारणकर्ता अधिकारी द्वारा पारित किए गए मूल निर्धारण आदेश की तारीख से 30 दिन के पश्चात् 2 प्रतिशत की दर से प्रतिमाह अथवा माह के भाग पर ब्याज सहित भुगतान योग्य होगी;

(दो) भुगतान योग्य अतिशेष उपकर के विरुद्ध अंशतः समायोजित की जाएगी और शेष रकम ऐसे आदेश को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने की तारीख से एक माह की कालावधि के भीतर अपीलकर्ता को वापस कर दी जाएगी।

(5) यदि ऐसी अपील अस्वीकृत अथवा निरस्त कर दी जाती है तब अपीलकर्ता बोर्ड को निर्धारण आदेश की तारीख से 30 दिन के पश्चात् 2 प्रतिशत की दर से प्रतिमाह अथवा माह के भाग पर ब्याज सहित भुगतान करेगा।

(6) यदि ऐसी रकम प्रतिप्रेषित कर दी जाती है, तब निर्धारणकर्ता अधिकारी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रकरण को नए सिरे से निर्धारित करेगा। खण्ड (2) के उपखण्ड (ग) के अधीन यथावर्णित विवादित उपकर की 25 प्रतिशत रकम नवीन निर्धारण आदेश पारित किए जाने तक निर्धारणकर्ता अधिकारी के पास जमा रहेगी।

नवीन निर्धारण आदेश जारी कर दिए जाने पर विवादित उपकर की 25 प्रतिशत रकम यथास्थिति,—

- (एक) भुगतान योग्य अतिशेष उपकर के विरुद्ध पूर्णतः समायोजित की जाएगी और उपकर की शेष रकम निर्धारणकर्ता अधिकारी द्वारा पारित किए गए मूल निर्धारण आदेश की तारीख से 30 दिन के पश्चात् 2 प्रतिशत की दर से प्रतिमाह अथवा माह के भाग पर ब्याज सहित भुगतान योग्य होगी;
- (दो) भुगतान योग्य अतिशेष उपकर के विरुद्ध अंशतः समायोजित की जाएगी और शेष रकम ऐसे आदेश को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने की तारीख से एक माह की कालावधि के भीतर अपीलकर्ता को वापस कर दी जाएगी।

No. F-4E-2/2015/A-XVI, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Building And Other Construction Workers Welfare Cess Act, 1996 (28 of 1996), as amended by clause (ii) of section 5 of the Madhya Pradesh Labour Laws (Amendment) and Miscellaneous Provisions Act, 2015 (No. 21 of 2015), the State Government, hereby, specifies the manner in which appeal may be preferred, namely:-

- (1) An employer aggrieved by an order of the assessment made under section 5 or by an order imposing penalty made under section 12 may appeal against such order, within three months of the receipt of such order to the Appellate Authority.
- (2) The appeal shall be accompanied with,-
- The order appealed against;
 - a certificate from the Cess Collector to this effect that the undisputed amount of Cess or penalty or both, as the case may be, relating to such appeal has been deposited;
 - 25% of disputed amount of cess;
 - receipt of deposit of fee equivalent to one percent of the amount in the dispute or penalty or both, as the case may be, under such appeal,
 - a statement of points in dispute;
 - documents indicating clearly the disputed amount of Cess and items of costs which are in dispute;
 - documentary evidence relied upon.
- (3) If such appeal is accepted, then the 25 % amount of the disputed cess as mentioned under sub-clause (c) of clause (2) shall be refunded to the appellant within a period of one month from the date of submission of such order before the Board.
- (4) If such appeal is partially accepted then the 25 % amount of the disputed cess as mentioned under sub-clause (c) of clause (2) shall be,-
- fully adjusted against the balance cess payable and the remaining amount of cess shall be payable with an interest at the rate of 2% for every month or part of a month after 30 days from the date of original assessment order made by the Assessing Officer;

or

- (ii) partly adjusted against the balance cess payable and the remaining amount shall be refunded to the appellant, within a period of one month from the date of submission of such order before the Board, as the case may be.
- (5) If such appeal is rejected or dismissed, then the appellant shall pay the balance amount of cess to the Board with an interest at the rate of 2% for every month or part of a month after 30 days from date of assessment order made by the Assessing Officer.
- (6) If such appeal is remanded, then the Assessing Officer shall assess the case afresh according to the directions given by the Appellate Authority. The 25% amount of disputed cess as mentioned under sub-clause (c) of clause (2) shall remain deposited with the Assessment Officer till the Assessment Order is passed afresh.
- (7) On issuing fresh Assessment Order the 25% amount of disputed cess shall be,-
- (i) fully adjusted against the balance cess payable and the remaining amount of cess shall be payable with an interest at the rate of 2% for every month or part of a month after 30 days from the date of original assessment order made by the Assessing Officer;

or

- (ii) partially adjusted against the balance cess payable and the remaining amount shall be refunded to the appellant, within a period of one month from the date of submission of such order before the Board, as the case may be.

क्रमांक: एफ-4ई-2/2015/ए-16 मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 2015 (क्रमांक 21 सन् 2015) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उन समस्त सहायक श्रम आयुक्तों, श्रम पदाधिकारियों एवं सहायक श्रम पदाधिकारियों को, जो कि कार्यालय प्रमुख के रूप में कार्यालय के प्रभार में हों, उनकी अधिकारिता के जिलों हेतु मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में निम्नलिखित अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघनों हेतु, उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा 2 के खण्ड (एक) और (दो) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रशमन करने हेतु अधिकृत करती है :-

- (1) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25)
- (2) श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनाओं को छूट) अधिनियम, 1988 (1988 का 51)
- (3) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11)
- (4) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4)
- (5) विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 (1976 का 11)

No. F-4E-2/2015/A-XVI, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 of the Madhya Pradesh Labour Laws (Amendment) and Miscellaneous Provisions Act, 2015 (No. 21 of 2015), the State Government, hereby authorizes all the Assistant Labour Commissioners, Labour Officers and Assistant Labour Officers, holding charge as head of the office within the district of their respective jurisdiction to exercise powers under the following Act, as applicable in the State, for compounding of offences for breach of provisions of the Act, in the manner as mentioned under clause (a) and (b) of (1) of section 16 of the said Acts, namely:-

- (1) Equal Remuneration Act, 1976 (No. 25 of 1976)
- (2) Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Act, 1988 (No.51 of 1988)
- (3) Minimum Wages Act, 1948 (No. 11 of 1948)
- (4) Payment of Wages Act, 1936 (No. 4 of 1936)
- (5) Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976 (No.11 of 1976).

क्रमांक: एफ-4ई-2/2015/ए-16 मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 2015 (क्रमांक 21 सन् 2015) धारा 17 एवं मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 36 सन् 1983) की धारा 14-घ एवं मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 में प्रकाशित स्वप्रमाणीकरण योजना में यथा अधिसूचित विवरणियों को निम्नलिखित अधिनियमों के अंतर्गत नियोजकों अथवा स्थापनाओं द्वारा संधारित किए जाने वाले प्रपत्रों, अभिलेखों, पंजियों एवं विवरणियों के बदले में विकल्प के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

- 1 ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37)
- 2 समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25)
- 3 कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63)
- 4 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14)
- 5 अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30)
- 6 श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापना की छूट) अधिनियम, 1988 (1988 का 55)
- 7 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (1961 का 53)
- 8 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11)
- 9 मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (1961 का 27)
- 10 बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (1965 का 21)
- 11 उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39)
- 12 मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4)
- 13 विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 (1976 का 11)
- 14 मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 36 सन् 1983)
- 15 मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958)

टिप्पणी— राज्य सरकार उपर्युक्त दर्शाई गई पंजियों एवं अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत अथवा डिजीटल स्वरूप में संधारित किया जाना भी अनुमत करती है।

No. F-4E-2-2015-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Madhya Pradesh Labour Laws (Amendment) and Miscellaneous Provisions Act, 2015 (No. 21 of 2015) and by Section 14-D of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983) and by Section 54 of the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958 (No. 25 of 1958), the State Government, hereby, notifies alternate forms for maintaining registers and records and furnishing returns by as employer or establishment as notified under Voluntary Compliance Scheme, published in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary), dated 7th October, 2014, in lieu of the forms perscribed under the following Acts and the rules made thereunder, namely:—

- (1) Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (No. 37 of 1970)
- (2) Equal Remuneration Act, 1976 (No. 25 of 1976)
- (3) Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948)
- (4) Industrial Disputes Act, 1947 (No. 14 of 1947)
- (5) Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (NO. 30 of 1979).
- (6) Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments), Act, 1988 (No. 51 of 1988)
- (7) Maternity Benefit Act, 1961 (No. 53 of 1961)
- (8) Minimun Wages Act, 1948 (No. 11 of 1948)
- (9) Motor Transport Workers Act, 1961 (No. 27 of 1961)
- (10) Payment of Bonus Act, 1965 (No. 21 of 1965)
- (11) Payment of Gratuity Act, 1972 (No. 39 of 1972)
- (12) Payment of Wages Act 1936 (No. 4 of 1936)
- (13) Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976 (No. 11 of 1976)
- (14) Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983)
- (15) Madhya Pradesh Shop and Establishments Act, 1958 (No. 25 of 1958)

Note.—The State Government also allows the registers and records, as mentioned above, to be maintained in computerized or digital formats.

क्रमांक—एफ—4ई—2/2015/ए—16 मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, एतद्द्वारा, उन समस्त सहायक श्रम आयुक्तों, श्रम पदाधिकारियों एवं सहायक श्रम पदाधिकारियों को, जो कि कार्यालय प्रमुख के रूप में कार्यालय के प्रभार में हों, उनकी क्षेत्राधिकारिता के जिलों में, उक्त अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन पर, उक्त अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, समझौता करने हेतु अधिकृत करती है।

No. F-4E-2/2015/A-XVI, In exercise of the powers conferred by section 53 of the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958, as amended by section 6 of the Madhya Pradesh Shops and Establishments (Amendment) Act, 2014, the State Government, in supersession of all the previous notifications in this behalf, hereby authorizes all the Assistant Labour Commissioners, Labour Officers and Assistant Labour Officers, holding the charge as head of the office, within the district of their respective jurisdiction to exercise powers under the said Act for compounding of offences for breach of provisions of the said Act in the manner as prescribed under the said section.

क्रमांक: एफ-4ई-2/2015/ए-16 मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 2015 (क्रमांक 21 सन् 2015) की धारा 9 के खण्ड (एके) के उपखण्ड (ख) द्वारा यथासंशोधित कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 65 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वयस्क कर्मकारों की साप्ताहिक अतिकाल पंजी का निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचित करती है :-

प्रारूप क्रमांक-11-क
वयस्क कर्मकारों की साप्ताहिक अतिकाल पंजी

1. कर्मकार का नाम _____ 2. पद _____
3. विभाग _____ 4. टिकिट क्रमांक _____
5. सप्ताह - दिनांक _____ से दिनांक _____ तक

क्रमांक	दिनांक	उस दिनांक को कार्य की सामान्य अवधि (घंटों में)	उस दिनांक को ओवरटाइम कार्य के घंटे	उस दिनांक को कार्य के कुल घंटे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
	योग			

1. सप्ताह में सामान्य कार्य के कुल घंटे
2. सप्ताह में ओवरटाइम कार्य के कुल घंटे
3. सप्ताह में कार्य के कुल घंटे
4. वेतन की सामान्य दर
5. ओवरटाइम कार्य की वेतन दर

अधिकारी के हस्ताक्षर

कर्मकार के हस्ताक्षर

No. F-4E-2/2015/A-XVI, In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 65 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), as amended by sub-clause (b) and clause (i) of section 9 of the Madhya Pradesh Labour Laws (Amendment) and Miscellaneous Provisions Act, 2015 (No. 21 of 2015), the State Government, hereby, notifies the format of "Weekly Overtime Register for adult Workers" as follows, namely:-

"Form No. 11-A

Weekly Overtime Register for adult Workers

1. Name of the Worker 2. Designation.....
 3. Department..... 4. Ticket No.....
 5. Week - From Date..... To Date

S.No.	Date	Normal hours worked on the date	Overtime hours worked on the date	Total hours worked on the date
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
Total				

1. Total overtime hours worked during the week
 2. Total overtime hours worked during the week
 3. Total hours worked during the week
 4. Normal rates of wages
 5. Overtime rate of wages

Signature of officer

Signature of worker."

क्रमांक: एफ-4ई-2/2015/ए-16 मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 2015 (क्रमांक 21 सन् 2015) की धारा 9 के खण्ड (दो) के उपखण्ड (ख) द्वारा यथासंशोधित कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 66 की उपधारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उन महिलाओं की, जिनसे रात 8 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसी कारखाने अथवा विनिर्माण प्रक्रिया में काम करने की अपेक्षा की जाती है या काम करने की अनुज्ञा दी जाती है, सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित शर्तें विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

1. नियोजक तथा अन्य उत्तरदायी व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे कार्यस्थल अथवा संस्थान में यौन उत्पीड़न किए जाने का निवारण करें अथवा उसका प्रतिरोध करें और ऐसी घटना होने पर उसकी सूचना पुलिस को दें तथा घटना के उत्तरदायी व्यक्तियों को अभियोजित करने की कार्रवाई करने के लिए अग्रसर हों।

2. समस्त नियोजक अथवा कार्यस्थल अथवा कारखाने के भारसाधक व्यक्ति यौन उत्पीड़न रोकने के लिए समस्त आवश्यक कदम उठाएंगे।
3. किसी आपराधिक प्रकरण की दशा में नियोजक द्वारा विधि के अनुरूप समुचित कार्रवाई अविलम्ब की जाएगी वे यह सुनिश्चित करेंगे कि यौन उत्पीड़न से पीड़ित तथा उनके साक्षियों को उत्पीड़ित न किया जाए तथा इस मामले में कोई भेदभाव न बरता जाए, प्रभावित श्रमिक के अनुरोध करने पर यदि आवश्यक हो तो अपराध करने वाले का पाली अथवा विभाग से स्थानान्तरण किया जाए। नियोजक द्वारा यथावश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।
4. कारखाने में नियोजक, शिकायत की सुनवाई की समुचित व्यवस्था प्रणाली संधारित करेंगे तथा ऐसी प्रणाली में समयबद्ध तरीके से शिकायतों का निराकरण भी सुनिश्चित करेंगे। यदि यह आवश्यक समझा जाए तो एक शिकायत समिति का गठन किया जाएगा जिसमें एक विशेष सलाहकार होगा। शिकायत समिति की मुखिया महिला होगी।
5. महिला कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाएगा। विशेष तौर पर इस विषय पर दिशा-निर्देशों को मुख्य रूप से अधिसूचित किया जाएगा।
6. जब कभी यौन उत्पीड़न की घटना किसी तृतीय पक्षकार द्वारा किसी कृत्य या लोप द्वारा की जाए, वहां नियोजक अथवा कारखाने के भारसाधक व्यक्ति द्वारा सहायता और निवारक कार्यवाही के रूप में प्रभावित व्यक्ति को समुचित सहायता दिए जाने के लिए समस्त आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
7. नियोजक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी एक पाली में पांच से कम महिला श्रमिक नियोजित न हों।
8. नियोजक न केवल कारखानों के अन्दर अपितु कारखानों के चारों ओर तथा ऐसी समस्त जगहों पर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करेंगे जहां पर कि रात्रिकालीन पाली के दौरान महिला श्रमिक उनकी आवश्यकता अनुसार आती जाती हों।
9. रात्रि पाली के दौरान प्रवेश तथा निर्गम स्थल पर महिला श्रमिकों के लिए सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।
10. समय से पहले आने पर तथा कार्य के पश्चात् महिला श्रमिकों को बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में वर्क शेड उपलब्ध कराए जाएंगे।

11. जहां नियोजक अथवा कारखाने के अधिभोगी द्वारा परिवहन की व्यवस्था की जाती है वहां महिला श्रमिकों के लिए पृथक् से परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
12. कारखाने द्वारा समुचित चिकित्सा सुविधाएं साथ ही साथ जब भी आवश्यक हो, टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और जहां किसी पाली में 100 से अधिक महिला श्रमिक कार्यरत हों वहां आपात् स्थिति से निपटने के लिए एक पृथक् वाहन/एम्बुलेंस तैयार रखा जाएगा।
13. जहां कारखाने द्वारा महिला श्रमिकों के लिए भोजन तथा ठहरने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है वहां वह महिला वार्डन अथवा सुपरवाइजर के नियंत्रण में अनन्य रूप से महिलाओं के लिए ही होगी।
14. रात्रि पाली के दौरान सुपरवाइजर या शिफ्ट इंचार्ज या फोरमेन या अन्य सुपरवाइजरी कर्मचारिवृन्द में कम से कम एक तिहाई महिला कर्मचारिवृन्द होंगी।
15. जहां किसी महिला श्रमिक को दिन की पाली से रात्रि पाली में अथवा रात्रि पाली से दिन की पाली में परिवर्तित किया जाता है वहां रात्रि पाली एवं अंतिम पाली के बीच लगातार 12 घंटे से कम का विश्राम न हो।
16. अन्य संदर्भों में नियोजक द्वारा कार्य के घंटों के संबंध में कारखाना अधिनियम के उपबंधों तथा अन्य कानूनी उपबंधों का तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 तथा अन्य समस्त श्रम विधियों के उपबंधों का अनुसरण किया जाएगा।

No. F-4E-2/2015/A-XVI, In exercise of the powers conferred by sub-section 1A of section 66 of the Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948), as amended by sub clause (b) of clause (ii) of Section 9 of the Madhya Pradesh Labour laws (Amendment) and Miscellaneous Provisions Act, 2015 (No. 21 of 2015), the State Government, hereby, specifies the conditions for ensuring safety of women who are required or allowed to work in any factory or manufacturing process between the hours of 8 P.M. and 6 A.M., namely:-

- (1) It shall be the duty of the employer or other responsible person at the work place or Institution to prevent or to deter the commission of acts of sexual harassment and if it happens, shall proceed to inform the police and to prosecute the persons responsible for such incident.
- (2) All necessary steps shall be taken to prevent the incidents of sexual harassment by the employer or the person in-charge of the work place or the factory.
- (3) In case of any criminal case, the employer shall initiate appropriate action in accordance with the penal law without delay and also ensure that victims or witnesses are not victimised or discriminated while dealing with the complaints of sexual harassment and wherever necessary, at the request of the affected worker, shift or transfer the perpetrator, if circumstances warrant. The employer shall take appropriate disciplinary action if such conduct amounts to misconduct in employment.

- (4) The employer shall maintain a complaint mechanism in the factory itself and shall also ensure time-bound treatment of complaints if it is felt necessary a complaint committee comprising a special Counsellor shall be constituted. Such committee shall be headed by a woman.
- (5) The female employees should be made aware of their rights in particular by prominently notifying the guidelines on the subject.
- (6) Wherever there is harassment at the instance of a third party, either by an act or omission the employer or person in-charge of the factory should take all steps necessary and reasonable to assist the affected person in terms of support and preventive action.
- (7) The employer shall ensure that the women workers are employed in a batch shall not be less than five.
- (8) The employer shall provide proper lighting not only inside the factory, but also surroundings of the factory and to all places where the female workers may move out of their necessity in the course of such shift.
- (9) Sufficient security for women shall be provided during the night shift at the entry as well as exit points.
- (10) Sufficient number of work sheds shall be provided for the female workers arriving in advance and also leaving after the working hours.
- (11) Separate transportation facility shall be provided wherever transportation is provided by the employer or the occupier of the factory.
- (12) The factory shall provide appropriate medical facilities as well as telephone facility as and when required and where more than hundred female workers are employed in a shift, a separate vehicle/ambulance shall be kept ready to meet the emergency situation.
- (13) Wherever the factory provides boarding and lodging arrangements for the female workers, the same shall be kept exclusively for the women under the control of women wardens or supervisors.
- (14) During night shift not less than 1/3rd of strength of the supervisors shift-in-charge, foreman or other supervisory staff shall be women.
- (15) There shall be not less than twelve consecutive hours of rest or gap between the last shifts and the night shift whenever a woman worker is changed from day shift to night shift and so also from night shift to day shift.
- (16) In other respects, the provisions of the Factories Act and the rules of other statutory provisions with respect to the hours of work and the Equal Remuneration Act, 1976 and all other Labour Legislations shall be followed by the employer.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वाष्णीय, प्रमुख सचिव.

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 जून 2016

क्र. एफ-3-210-2012-बत्तीस.—मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-210-2012-32, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2013 द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन शहडोल विकास योजना 2011 में ग्राम-गोरतरा की भूमि खसरा क्रमांक 67/3, 538/2, 539, 542/1/क/2, क्षेत्रफल 3.625 हे. भूमि का कृषि से आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि उपांतरण के लिये प्रारंभिक सूचना प्रकाशित की गई थी।

उपांतरण की प्रक्रिया के दौरान नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना दिनांक 31 मार्च 2015 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 10 अप्रैल 2015 में प्रकाशित हुई है, के द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-19(1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा शहडोल निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 अनुमोदित की गई है। उक्त सूचना की कंडिका-2 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया था—

यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी:

परन्तु ग्राम गोरतरा तहसील, सोहागपुर के खसरा क्रमांक 67/3, 538/2, 539, 542/1/क/2 कुल रकबा 3.625 हेक्टेयर का भू-उपयोग उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23(क)1(ख) के अन्तर्गत राज्य शासन के समक्ष विचाराधीन होकर प्रारंभिक सूचना दिनांक 26 जुलाई 2013 को जारी की गई थी। प्रारंभिक सूचना के जारी किये जाने के फलस्वरूप उक्त भूमि के भू-उपयोग संबंधी अधिनियम के प्रावधान प्रभावशील हो गये। दिनांक 28 जनवरी 2014 को शहडोल विकास योजना के प्रारूप प्रकाशन की कार्यवाही मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 के अंतर्गत की गई। उक्त कार्यवाही में प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में आवेदक द्वारा वांछित भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया। चूंकि धारा 23(क)1(ख) के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्व में प्रारंभ कर दी गई थी एवं इस धारा के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही के लिये लेव्ही शुल्क लिया जाता है। अतः ग्राम-गोरतरा, तहसील सोहागपुर के खसरा क्रमांक 67/3, 538/2, 539, 542/1/क/2, कुल रकबा 3.625 हे. का भू-उपयोग आवासीय तभी मान्य होगा जब धारा 23(क) के अन्तर्गत देय लेव्ही शुल्क आवेदक द्वारा जमा कराया जावेगा।

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15(13)(ग) के अन्तर्गत उपयोग भू-उपांतरित उपयोग के लिये लेव्ही शुल्क का भुगतान अनिवार्य होने से विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 24-8-2015 द्वारा आवेदक श्री उमेश गुप्ता, 8 पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड-3 भोपाल को नियम, 2012 के नियम 15 के उपनियम 13(क) के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि के भूमि उपयोग उपांतरण हेतु लेव्ही शुल्क राशि रुपये 55,82,500/- (पचपन लाख ब्यासी हजार पांच सौ रुपये मात्र) विभागीय मद में जमा करने हेतु सूचित किया गया था। आवेदक श्री उमेश गुप्ता ने विभाग में ओवदन आवक क्रमांक 1383, दिनांक 18-4-2016 द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा विभागीय पत्र दिनांक 24-8-2015 के परिपालन में लेव्ही शुल्क रुपये 55,82,500/- (पचपन लाख, ब्यासी हजार, पांच सौ रुपये मात्र) जिला कोषालय में विभागीय मद में जमा किया जा चुका है। उक्त आवेदन पत्र के साथ जमा चालानों की प्रतियां प्रस्तुत की गईं।

चूंकि आवेदक श्री उमेश गुप्ता द्वारा विभागीय पत्र दिनांक 24-8-2015 द्वारा वांछित लेव्ही शुल्क रुपये 55,82,500/- (पचपन लाख, ब्यासी हजार, पांच सौ रुपये मात्र) जमा किया जा चुका है। अतः शहडोल विकास योजना 2031 में प्रश्नाधीन भूमि ग्राम-गोरतरा, तहसील सोहागपुर के खसरा क्रमांक 67/3, 538/2, 539, 542/1/क/2, कुल रकबा 3.625 हे. को आवासीय प्रस्तावित किये जाने की पुष्टि की जाती है।

भोपाल, दिनांक 14 जून 2016

क्र. एफ-3-11-2016-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-

3-11-2016-अठारह-5, दिनांक 22 मार्च 2016 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित छतरपुर विकास योजना 2021 में निम्न उल्लेखित शर्तों के साथ उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मौजा छतरपुर	3656/1	5.300	कृषि	आवासीय
योग . .			5.300		

- (1) नगरपालिका के कचरा प्लांट से प्रश्नाधीन निर्माण की दूरी का निर्धारण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कराया जाकर सघन वृक्षारोपण किया जाये.
- (2) उपरोक्त उपांतरण छतरपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. एफ-3-50-2015-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-50-2015-अठारह-5, दिनांक 31 मार्च 2016 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित अनूपपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बरबसपुर	305/1क	4.047	कृषि	आवासीय
योग . .			4.047		

- (1) प्रश्नाधीन स्थल पर विद्यमान आम एवं महुए के पेड़ों को सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य होगा.
- (2) भूमि आवंटन अटल आश्रय योजना हेतु किया गया है. अतः जिस प्रयोजन हेतु आवंटित की गई है, उससे भिन्न उपयोग प्रतिबंधित होगा.
- (3) उपरोक्त उपांतरण अनूपपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

भोपाल, दिनांक 15 जून 2016

क्र. एफ-3-05-2013-3.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-05-2013-32, दिनांक 22 मार्च 2016 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित शिवपुरी विकास योजना 2001 में निम्न उल्लेखित शर्तों के साथ उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम-नोहरीखुर्द	496	5.000	कृषि	आवासीय
योग . .			5.000		

- (1) प्रश्नाधीन भूमि तक के क्षेत्र का परिभ्रमण प्रस्ताव उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय गुना द्वारा निर्धारित किया जावे तथा तदनुसार पहुंच मार्ग का निर्माण गृह निर्माण मंडल द्वारा किया जावेगा.
- (2) भूमि का आवंटन अटल आश्रय योजना हेतु किया गया है. अतः जिस प्रयोजन हेतु आवंटित की गई है, उससे भिन्न उपयोग प्रतिबंधित रहेगा.
- (3) उपरोक्त उपांतरण शिवपुरी विकास योजना 2001 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. एफ-3-15-2016-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-15-2016-अठारह-5, दिनांक 25 जनवरी 2016 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित श्योपुर विकास योजना 2021 में निम्न उल्लेखित शर्तों के साथ उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है:—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कस्बा श्योपुर	500/2 में से 503 में से योग . .	3.234 0.324 <u>3.558</u>	औद्योगिक	आवासीय

(1) उपरोक्त उपांतरण श्योपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. एफ-3-14-2016-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-14-2016-अठारह-5, दिनांक 25 जनवरी 2016 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित इन्दौर विकास योजना 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है:—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	रेसीडेन्सी एरिया जिला एवं तहसील क्रमांक-42 इन्दौर.	प्लाट क्रमांक-42	5.0 एकड़	इन्दौर विकास योजना 1991 की परिक्षेत्रिक योजना 6-ई अनुसार सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक एवं मार्ग भू-उपयोग तथा इन्दौर विकास योजना 2021 में मानचित्र में आवासीय भू-उपयोग.	वाणिज्यिक
		योग . .	<u>5.0</u>		

उपरोक्त उपांतरण इन्दौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. एफ-3-18-2016-अठारह-5.—राज्य शासन, एतद्वारा, छिन्दवाड़ा विकास योजना हेतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (संशोधन 1996) की धारा 17(क)(1) के अन्तर्गत छिन्दवाड़ा विकास योजना हेतु आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-150-32-98, भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 1999 द्वारा पूर्व में गठित समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(2) सहपठित मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 12 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी:—

अधिनियम की धारा 17-क(1) की उपधारा (1)	पदनाम (2)	संस्था/पता (3)	समिति में पद (4)
क	महापौर	नगरपालिक निगम, छिन्दवाड़ा	सदस्य
ख	अध्यक्ष	जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा	सदस्य
ग	सांसद	संसदीय क्षेत्र छिन्दवाड़ा	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
घ	विधायक	विधान सभा क्षेत्र छिन्दवाड़ा	सदस्य
ड	अध्यक्ष	लागू नहीं	सदस्य
च	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, छिन्दवाड़ा	सदस्य
छ	1. सरपंच	ग्राम पंचायत, गुरैया (ग्राम गुरैया एवं उसरिया)	सदस्य
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत, सुरगी (ग्राम सुरगी)	सदस्य
ज	प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाउनप्लानर्स इण्डिया	सदस्य
	प्रतिनिधि	कॉउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर इण्डिया	सदस्य
	प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स	सदस्य
	प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा	सदस्य
	प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, छिन्दवाड़ा	सदस्य
	प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छिन्दवाड़ा	सदस्य
	प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, छिन्दवाड़ा	सदस्य
झ	समिति का संयोजक	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिन्दवाड़ा, म. प्र.	सदस्य, सचिव

क्र. एफ-3-22-2016-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-22-2016-अठारह-5, दिनांक 20 अप्रैल 2016 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है:—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम कान्हासैया	373/2	10.121	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक
		336	2.0	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक
		योग . .	<u>12.121</u>		

- (1) भूमि जिस प्रयोजन हेतु आवंटित की गई है, उससे भिन्न उपयोग प्रतिबंधित रहेगा.
- (2) उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. एफ-3-36-2016-अठारह-5.—राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17(क)(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-108-2004-32, दिनांक 18 जनवरी 2005 द्वारा राजगढ़ विकास योजना हेतु गठित समिति को निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(2) सहपठित मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 12 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी:—

अधिनियम की धारा 17-क(1)खण्ड	व्यक्ति का नाम/पद	संस्था/पता	समिति में पद
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	अध्यक्ष	नगरपालिका राजगढ़	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, राजगढ़	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
(ग)	सांसद	राजगढ़ संसदीय क्षेत्र	सदस्य
(घ)	विधायक	विधान सभा क्षेत्र, राजगढ़	सदस्य
(ङ)	अध्यक्ष	नगर तथा ग्राम निवेश विकास प्राधिकारी	कोई नहीं
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत-राजगढ़	सदस्य
(छ)	1. सरपंच	ग्राम पंचायत, देवझिरी (ग्राम देवझिरी, बीड़जालपा) सुन्दरपुरा, कोटरा, बेडेकापुरा एवं फतेहपुर	सदस्य
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत, काशी (ग्राम लक्ष्मणपुरा बालदिया)	सदस्य
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत, मोतीपुरा (ग्राम बीडबटेरी)	सदस्य
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत, कलीखेड़ा (ग्राम रसूलपुरा, टिटडी का अण्डा).	सदस्य
	5. सरपंच	ग्राम पंचायत, पीपल्या (ग्राम कालीतलाई, अजीतगढ़ एवं रामपुरिया).	सदस्य
	6. सरपंच	ग्राम पंचायत, पाटनकला (ग्राम बलवटपुरा)	सदस्य
	7. सरपंच	ग्राम पंचायत, नेसडी (ग्राम गागोरनी रूघनाथगढ़ गोरधनपुरा एवं जुगलपुरा).	सदस्य
	8. सरपंच	ग्राम पंचायत सरेडी (ग्राम हरजीपुरा)	सदस्य
(ज)	1. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्टर (इण्डिया) का प्रतिनिधि	सदस्य
	2. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर (इण्डिया) का प्रतिनिधि	सदस्य
	3. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इन्जीनियर्स (इंडिया) का प्रतिनिधि	सदस्य
	4. प्रतिनिधि	जिला कलेक्टर, राजगढ़	सदस्य
	5. प्रतिनिधि	वनमण्डलाधिकारी, जिला राजगढ़	सदस्य
	6. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राजगढ़	सदस्य
	7. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, राजगढ़.	सदस्य
(झ)	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला- कार्यालय भोपाल, सीहोर, रायसेन, मध्यप्रदेश.	संयोजक

क्र. एफ-3-78-2015-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-78-2015-अठारह-5, दिनांक 18 दिसम्बर 2015 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित सीहोर विकास योजना 2011 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है:—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कस्बा सीहोर	1140	12.745	कृषि	औद्योगिक
		1142	8.666	कृषि	औद्योगिक
2	वडियाखेड़ी	268	1.680	कृषि	औद्योगिक
		269	16.956	कृषि	औद्योगिक
		226	2.541	कृषि	औद्योगिक
3	खुर्शिदपुरा	213	1.603	कृषि	औद्योगिक
		214	4.426	कृषि	औद्योगिक
4	जहांगीरपुरा	224	5.569	कृषि	औद्योगिक
		225	3.178	कृषि	औद्योगिक
		226/2	5.228	कृषि	औद्योगिक
		227	11.902	कृषि	औद्योगिक
		229	8.159	कृषि	औद्योगिक
		230	4.974	कृषि	औद्योगिक
		231	9.105	कृषि	औद्योगिक
		235	7.446	कृषि	औद्योगिक
		236	9.105	कृषि	औद्योगिक
		237	4.929	कृषि	औद्योगिक
		238	7.640	कृषि	औद्योगिक
योग . .			125.852		

- (1) राजस्व अभिलेख में दर्ज नाले एवं मार्ग के अन्तर्गत आने वाली भूमि को छोड़ना आवश्यक होगा तथा विकास अनुमति प्राप्त करते समय नाले व मार्ग की भूमि को यथावत् रखना अनिवार्य होगा.
- (2) उपरोक्त उपांतरण सीहोर विकास योजना 2011 को एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़, दिनांक 22 मार्च 2016

(प्रारूप-क)

प्र. क्र. 05-अ-82-2014-15.—राज्य शासन प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम/वार्ड स्तर पर यथास्थिति संबंधित पंचायत के परामर्श में निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिये सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है. अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा:—

- | | | |
|---|---|---|
| (1) परियोजना विकासक का नाम | — | लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर |
| (2) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन | — | पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य |
| (3) अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण | — | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी
अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग,
सेतु उप संभाग नौगांव
ग्राम पंचायत ममौरा, ग्राम सभा पंचमखेरा |
| (4) भूमि के विवरण | — | |
| (क) जिला | — | टीकमगढ़ |
| (ख) तहसील | — | पृथ्वीपुर |
| (ग) ग्राम | — | पंचमखेरा |
| प्रभावित खसरा नं. | — | 416 में 0.300 एवं 415 में 0.030 |
| (घ) कुल प्रभावित क्षेत्र | — | कुल रकबा 0.330 हेक्टे. |
| (ङ) अर्जित होने वाला क्षेत्र | — | 0.330 हेक्टे. |
| (5) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण | — | जल मगनीय पुल निर्माण कार्य मार्ग में ममौरा-हथेरी,
बरगी नदी पर पुल निर्माण कार्य. |
| (6) परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र | — | पंचमखेरा |
| (7) क्या ग्राम सभाओं और भूमिधारकों की सहमति आवश्यक है. | — | हां |
| (8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख. | — | |

केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 31 मई 2016

क्र. 1720-भू अभि-2016.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नक्शाविहीन ग्राम खेड़ा, प.ह.नं. 18 (नवीन पटवारी हल्का नम्बर-42), तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, मध्यप्रदेश का अधिकार अभिलेख निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाकर लागू किया जाता है.

आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 10 जून 2016

क्र. 29-2016-एलए-भू-अर्जन प्र. क्र. 2-अ-82-15-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है। श्री सिंगाजी थर्मल पावर दोंगालिया की पुनर्व्यवस्थापन स्कीम पूर्व में स्वीकृत है जिसके प्रावधान प्रकरण में लागू रहेंगे।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है.—भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला	—	खण्डवा
(ख) तहसील	—	पुनासा
(ग) ग्राम	—	बिजोरामाफी
(घ) अर्जित रकबा/क्षेत्रफल	—	भूखण्ड क्षेत्रफल 2006.64 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल—1069.05 व. मी. तथा बाउंड्रीवाल 63.6 मीटर.

अ. क्र.	कृषक/हितग्राही का नाम	भूखण्ड क्रमांक	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	निर्मित रकबा वर्गमीटर में	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री किशनसिंह पिता रामसिंह	551	501.66	(1) पक्का मकान 74.90 व.मी. (2) शौचालय 4.50 व.मी. (3) बाउंड्रीवाल 55.7मी.×2.3मी. ऊंचाई.	श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना की निति अनुसार परियोजना हेतु सम्पूर्ण भूमि अधिग्रहण किये जाने के फलस्वरूप शेष भूमि अर्जन बाबत्.
2.	श्री शिवनाथसिंह पिता दिलीपसिंह.	07	501.66	(1) पक्का मकान 115.0 व.मी. (2) बरामदा 27.00 व.मी. (3) बाउंड्रीवाल 7.9मी.×1.6मी. ऊंचाई.	
3.	श्री जयसिंह पिता मेहरबानसिंह	421	501.66	(1) पक्का मकान 231.30 व.मी. (2) टीनशेड 132.240 व.मी. (3) टीनशेड 16.24 व.मी.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. श्री रामबहादुर सिंह पिता मेहरबान सिंह.	420	501.66	(1) पक्का मकान 78.11 व.मी. (2) मकान 208.38 व.मी. (3) अस्थाई टीनशेड 105.78 व.मी. (4) टीनशेड 75.50 व.मी.	श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना की निति अनुसार परियोजना हेतु सम्पूर्ण भूमि अधिग्रहण किये जाने के फलस्वरूप शेष भूमि अर्जन बाबत.	
कुल 4 कृषक		2006.64 वर्गमीटर	1069.05 व. मी. तथा बाउंड्रीवाल 63.6 मीटर.		

नोट.—(1) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं कार्यपालन अभियंता, थर्मल पावर दोंगालिया, तह. पुनासा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

क्र. एफ-53-1-रा.स.-यू.ए.-5-2016.—नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 22(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कुलाधिपतिजी ने उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के खण्ड (क), (ग) एवं (घ) के अंतर्गत नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मण्डल में निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया है:—

(क) धारा 22(2)(क)—पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शोध शिक्षण और विस्तारी शिक्षण का विशेष ज्ञान रखने वाले या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले दो वैज्ञानिक/शिक्षावद्—

1. डॉ. शरद यादव,
डायरेक्टर,
काऊ रिसर्च इंस्टीट्यूट,
मथुरा.
2. डॉ. महेन्द्र सिंह,
26, रेड स्कवायर, जाटखेड़ी, होशंगाबाद रोड,
भोपाल.

(ग) धारा 22(2)(ग)—पशुपालन या मत्स्य पालन से संबंधित उद्यमियों का एक प्रतिनिधि—
श्री दीपक पाटीदार,
गोटेवाला फार्म, तहसील धर्मपुरी,
जिला धार (म. प्र.).

(घ) धारा 22(2)(घ)—एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता—
डॉ. प्रियंका जैन,
35, इन्द्रलोक कॉलोनी, केशरबाग आर.टी.ओ. रोड,
इन्दौर.

कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के अपर सचिव.

आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 16 जून 2016

क्र. 3719-2016-विपप्र-ओएसडी.—सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-10-1-2015-1-9, दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है. 1 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा के नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा 2013 बैच की परिवीक्षाधीन अधिकारी के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत पूरक परीक्षा का आयोजन दिनांक 31 मई, 2016 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया. इस आयोजित परीक्षा में विषय-राजस्व प्रशासनिक विधि तथा प्रक्रिया (राजस्व प्रकरण में आदेश लेखन) में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	सुश्री आर. उमा महेश्वरी	सहायक कलेक्टर

क्र. 3719-2016-विपप्र-ओएसडी.—सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-10-1-2015-1-9, दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है. 1 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा के नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा 2014 बैच की परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत पूरक परीक्षा का आयोजन दिनांक 31 मई, 2016 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया. इस आयोजित परीक्षा में विषय-राजस्व प्रशासनिक विधि तथा प्रक्रिया (राजस्व प्रकरण में आदेश लेखन) में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री आदित्य सिंह	सहायक कलेक्टर
2.	श्री अंकित अस्थाना	सहायक कलेक्टर
3.	श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा	सहायक कलेक्टर
4.	श्री आशीष वशिष्ठ	सहायक कलेक्टर
5.	श्री अवि प्रसाद	सहायक कलेक्टर
6.	श्री जांगिड लोकेश कुमार रामचंद्रा	सहायक कलेक्टर
7.	श्री साकेत मालवीय	सहायक कलेक्टर
8.	सुश्री शीतला पटले	सहायक कलेक्टर
9.	सुश्री ऋजु बाफना	सहायक कलेक्टर
10.	सुश्री भव्या मित्तल	सहायक कलेक्टर
11.	सुश्री तन्वी हुड्डा	सहायक कलेक्टर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन), डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), दिनांक 17 जून 2016

क्र. 1322-भू-अर्जन-2016-क्र. 11-2015-16.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम-सिरलाय, प0ह0न0- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 30, मनावर, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन), डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	महू	हरसौला प.ह.नं.- 24	296/1/2	0.075
			297	0.092
			300/2	0.066
			306/1	0.044
			306/3/1	0.048

जिला	तहसील	ग्राम हल्का पटवारी कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	महू	हरसोला प.ह.नं.- 24	306/3/2	0.022
			306/4/1/L-min-1	0.053
			305/2	0.046
			305/4	0.022
			310	0.097
			311/2/1	0.070
			311/2/3	0.053
			311/2/5	0.044
			332/2	0.046
			332/3	0.086
			332/4	0.044
			1018/5	0.075
			1028	0.051
			334/1	0.163
			334/2	0.007
			340/3	0.051
			341/1	0.004
			863	0.088
			864	0.114
			865	0.046
			866/1	0.075
			870	0.216
			888/4/1	0.007
			889/3	0.065
			890/2/1	0.026
			889/8	0.024
			889/9	0.029
			889/10	0.029
			889/11	0.022
			890/3/3	0.070
891/1/2	0.037			
890/3/4	0.005			
890/5	0.055			
891/2	0.024			
892/1	0.097			
893/1	0.014			
892/2	0.062			
962/3/1	0.089			

जिला	तहसील	ग्राम पटवारी कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	महू	हरसौला प.ह.नं.- 24	962/3/3	0.053
			963	0.345
			963/2237 छ	0.058
			1008/2/1	0.035
			1008/2/2	0.077
			1019/1	0.053
			1019/2	0.194
			1020/1/1	0.062
			1020/1/2	0.095
			1020/2	0.123
			1030/1	0.119
			1030/2/2	0.117
			1031/1/1	0.031
			1031/1/2	0.013
			1031/1/3	0.013
			1031/1/4	0.004
			1036/1	0.172
			1035	0.005
			1036/3	0.101
			1037/1	0.057
1037/3	0.128			
1038/2	0.040			
1039/4	0.095			
1040/2	0.134			
1125/3	0.057			
1126/1/2	0.042			
1126/2	0.220			
कुल योग			70	4.896

क्र. 1323-भू-अर्जन-2016-क्र. 10-2015-16.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- सिरलाय, प०ह०नं०- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 30, मनावर, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन), डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	महू	पिगडम्बर प.ह.नं.- 03	121/1/1	0.026
			122/1	0.022
			171/1	0.007
			121/1/2	0.068
			120/1	0.008

जिला	तहसील	ग्राम पटवारी कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	महू	पिगडम्बर प.ह.नं.- 03	121/1/3	0.041
			123	0.035
			126/1	0.019
			170/1/2	0.016
			173/2/1/1	0.008
			126/2	0.062
			127/3/11	0.057
			170/2	0.031
			166/1/1	0.088
			180/1	0.037
			167	0.046
			168/1	0.040
			170/1/1	0.015
			173/2/2	0.044
			173/2/5	0.044
			173/1	0.077
			178/1	0.040
			180/4	0.075
			182/3	0.088
			183/1/1	0.018
			183/1/2	0.046
			198/2/1	0.202
			214/2/2	0.055
215/1	0.053			
235	0.033			
236/1/2	0.015			
237/1	0.018			
241/1/2	0.017			

जिला	तहसील	पटवारी कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	महू	पिगडम्बर प.ह.नं.- 03	241/1/3	0.017
			241/1/4	0.011
			242	0.050
			243/4	0.053
			243/5/2	0.057
			458/2	0.022
			458/3	0.009
			459/3	0.025
			214/2/1	0.066
			460/1	0.070
			468/2	0.075
			468/3	0.018
			468/4	0.022
			496/1	0.057
			499/2	0.075
			499/4	0.048
			505/2/2	0.062
			506	0.016
			524/4	0.024
			525/2	0.110
517/1	0.037			
517/3	0.037			
कुल योग			55	2.412

क्र. 1324-भू-अर्जन-2016-क्र. 9-2015-16.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम-सिरलाय, प0ह0नं0- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 30, मनावर, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन), डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	महू	पानदा प.ह.नं.- 01	156/2	0.031
			156/3	0.013
			270	0.145
			161/3	0.044
			162/1	0.004

जिला	तहसील	ग्राम हस्ताक्षर कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2		4	5
इन्दौर	महू	पानदा प.ह.नं.- 01	163/8	0.011
			163/6	0.075
			163/1	0.037
			163/7	0.075
			170/2/ख	0.167
			268	0.013
			170/5	0.150
			171/3/2	0.271
			271/2	0.039
			283/1	0.018
			275	0.163
			284/1	0.008
			284/5	0.092
			285	0.048
			286/1	0.004
			302/3	0.075
			302/8	0.040
			302/9	0.079
			302/11/1	0.032
			302/11/2	0.032
302/12	0.099			
302/15	0.044			
302/16	0.048			
311/2	0.066			
313	0.154			
314	0.185			
कुल योग			31	2.262

क्र. 1325-भू-अर्जन-2016-क्र. 7-2015-16.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- सिरलाय, प०ह०नं०- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 20, मण्डलेश्वर, जिला- खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन), डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	महू	चोरल प.ह.नं.- 28	62/1	0.080
			62/3	0.132
			62/2	0.053
			63/1/2	0.070
			67/3	0.112

जिला	तहसील	ग्राम / तहसील हल्का/कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	महू	चोरल प.ह.नं.- 28	68	0.136
			69/1	0.045
			69/2	0.056
			69/3	0.056
			70/1	0.062
			70/4	0.062
			70/5	0.059
			73	0.059
			77/2	0.350
			75	0.062
			77/1	0.035
			78/1/मीन-1	0.035
			78/1/मीन-2	0.048
			78/1/मीन-3	0.110
			79/2	0.070
			79/3	0.092
			80/1	0.084
			82/1/2	0.185
			82/2	0.022
			106/2	0.229
107/1	0.120			
107/2	0.120			
110	0.176			
कुल योग			28	2.720

क्र. 1326-भू-अर्जन-2016-क्र. 6-2015-16.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम-सिरलाय, प0ह0नं0- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक- 30, मनावर, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन), डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	महू	नावदा प.ह.नं.- 01	266/2	0.053
			267	0.088
			268	0.070
			296/1	0.079
			296/2	0.068
इन्दौर	महू	नावदा प.ह.नं.- 01	307/1	0.013
			307/2	0.092
			307/3	0.123
			308/1	0.070
			304	0.003
कुल योग			10	0.659

क्र. 1327-भू-अर्जन-2016-क्र. 5-2015-16.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम-सिरलाय, प0ह0नं0- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 30, मनावर, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन), डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	महू	दतौदा प.ह.नं.- 25	2105/2	0.075
			2106	0.026
			2132	0.022
			2139	0.079
			2140	0.022

जिला	तहसील	पटवारी कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	महू	दतौदा प.ह.नं.- 25	2134	0.062
			2135	0.044
			2136	0.079
			2137	0.088
			2153/1/1	0.015
			2156	0.031
			2158/1	0.055
			2168/1	0.088
			2157	0.048
			2167	0.029
			2161/1	0.028
			2166/1	0.063
			2166/4	0.070
			2175/1	0.017
			2176/2	0.022
			2186	0.141
			2169	0.004
			2175/2	0.057
			2176/1	0.031
			2185/2	0.018
			2210/1	0.097
			2252/1/1	0.044
			2213	0.008
			2219/6	0.136
			2219/7	0.075
			2220/3	0.031
			2402/1	0.006
			2220/1/1	0.123
			2244/4	0.146
			2245/1	0.141
2252/2	0.097			
2261	0.004			
2252/1/2	0.075			
2262	0.016			
2263	0.123			
2320	0.008			
2321	0.013			
2322	0.365			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हस्ता कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	महू	दतौदा प.ह.नं.- 25	2323	0.040
			2352/1	0.048
			2352/2	0.088
			2352/3	0.048
			2353/1	0.141
			2362/4	0.154
			2363	0.031
			2399/1/1	0.083
			2399/2/2	0.075
			2400/2/2	0.041
			2399/2/3	0.070
			2400/2/1	0.019
			2401	0.132
			2403/2	0.022
			2403/1/1	0.003
			2408/1	0.044
			2409/2	0.099
			2403/1/2	0.003
			2408/2	0.044
			2464/2/1/1	0.009
2464/2/2	0.075			
2464/2/1/2	0.143			
2469/6	0.031			
कुल योग			66	4.165

क्र. 1328-भू-अर्जन-2016-क्र. 12-2015-16.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- सिरलाय, प0ह0न0- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 30, मनावर, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, (भू-अर्जन), डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	महू	मेमदी प.ह.नं.- 26	505	0.105
			506/1	0.049
			508/1	0.057
			506/2	0.010
			508/2	0.089

जिला	तहसील	ग्राम पटवारी हस्ताक्षर कमांक (मह.) डी	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	महू	मैमदी प.ह.नं.- 26	507/1/2	0.140
			507/2	0.010
			507/3	0.101
			514/1	0.163
			514/2	
			516	0.114
			517/1	0.284
			517/2	0.019
			518	0.041
			543	0.070
			519/1	0.025
			519/2	0.099
			520/2	0.004
			544/1/ख	0.077
			613/2	0.028
			661/2	0.018
			663/6	0.040
			616/2	0.015
			616/3	0.073
			660/2	0.024
			618/1	0.053
			619/3/1	0.029
			618/2	0.073
			619/2	
			617/1	0.093
			620/1	0.061
			620/4	
			621/1	0.006
			644/2/2	0.020
			644/3	0.082
			645/1/1	0.070
			645/2/1	
			645/3/2	0.069
645/3/2 ख	0.064			
647/1/2	0.018			
647/1/3	0.022			
647/3	0.086			
659	0.004			
660/1	0.053			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	महू	मैमदी प.ह.नं.- 26	661/1	0.022
			662/9	0.075
			663/7	0.031
			661/3	0.030
			663/5	0.009
			719/2	0.075
			719/3	0.082
			720/1	
			791/1/2	0.008
			848/17/1	0.088
			791/3	0.010
			791/4	0.010
			791/5	0.003
			792	0.069
			803/1	0.055
			804/1	0.015
			804/2	0.228
			805/1	0.045
			806	0.169
			832/3	0.072
			833/6/1	0.069
			835/1	0.053
			835/2	0.081
			848/1	0.105
			848/8	0.177
			848/16	0.141
848/14/2	0.096			
848/10/4	0.061			
848/6/1/4	0.052			
848/21/1	0.065			
कुल योग			74	4.454

क्र. 1329-भू-अर्जन-2016-क्र. 8-2015-16.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- सिरलाय, प0ह0नं0- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 30, मनावर, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन), डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	महू	सोनवाय प.ह.नं.- 02	411/1	0.158
			413/1	0.053
			414/1	0.011
			414/2	0.044
			415/1/1	0.033

जिला	तहसील	ग्राम पटवारी हस्ता कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	महू	सोनवाय प.ह.नं.- 02	415/1/2	0.035
			415/1/3	0.018
			416/1	0.013
			416/2	0.040
			417/1	0.077
			417/3	0.141
			419/1	0.051
			421/1	0.026
			424/2/1	0.057
			424/2/2	0.057
			420/1	0.097
			424/4	0.004
			425/1	0.040
			423	0.037
कुल योग			19	0.992

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 26 मार्च 2016

प. क्र. अ-82-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ इसी मार्ग में उत्तरप्रदेश के हिस्से का भू-भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इस परियोजना के पुल निर्माण एवं उससे संगत पहुंच मार्ग हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही लोक प्रयोजन के लिए वांछित है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	मऊघाट	0.38	भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़	पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य टीकमगढ़.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 19 मई 2016

प. क्र. 090-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्रनगर	चौपरा	निजी भूमि रकबा 14.675 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 8.337 है. <u>कुल रकबा 23.012 है.</u>	उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली महोबा-खुजराहो (541 किमी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 25 मई 2016

प्र. क्र. 091-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
पन्ना	पवई	सुनवारी	निजी भूमि रकबा 7.136 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.030 है. <u>कुल रकबा 7.166 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 092-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
पन्ना	पवई	कुपना	निजी भूमि रकबा 7.685 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.589 है. <u>कुल रकबा 8.274 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 093-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
पन्ना	पवई	उमरहत	निजी भूमि रकबा 3.284 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.048 है. <u>कुल रकबा 3.332 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 097-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	अमुवां	निजी भूमि रकबा 0.681 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. <u>कुल रकबा 0.681 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	टिरीं गुरने तालाब योजना अंतर्गत अमुवां माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 098-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	सगरा	निजी भूमि रकबा 2.664 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. <u>कुल रकबा 2.664 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	टिरीं गुरने तालाब योजना अंतर्गत अमुवां माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 099-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	सिंहासर	निजी भूमि रकबा 2.959 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.611 है. <u>कुल रकबा 3.570 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 100-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	पड़रियाकलॉ	निजी भूमि रकबा 10.076 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.303 है. <u>कुल रकबा 10.379 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 101-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	नारायणपुरा	निजी भूमि रकबा 7.119 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.060 है. <u>कुल रकबा 7.179 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 102-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	कैंथी	निजी भूमि रकबा 2.905 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. <u>कुल रकबा 2.905 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 103-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	बराहो	निजी भूमि रकबा 2.037 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. कुल रकबा 2.037 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 104-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	चौकी	निजी भूमि रकबा 2.340 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.038 है. कुल रकबा 2.378 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	टिरीं गुरने तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 28 मई 2016

क्र. 1881-भू-अर्जन-2015-16-प्र. क्र. 06-अ-82 वर्ष-2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता

है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	हटा	सेमरापट्टी माल सेमरापट्टी रैयत	0.40	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, दमोह.	सेमरा जलाशय निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
		योग . .	0.40		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड हटा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गोहद, दिनांक 2 जून 2016

क्र. 03-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में निर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सुजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. परियोजना की मुख्य नहर/माइनर नहर/सब-माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

संपत्ति का विवरण				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	गोहद	वीलपुरा	सर्वे क्रमांक 218 में से रकबा 0.020	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक-2, डबरा जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 3-आर माइनर के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी गोहद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इलैया राजा टी. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 2 जून 2016

प्र. क्र. 02-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/ सह माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (12) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	बिलारा	1938-0.06 290-0.04 रकबा 0.10	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 एल/1 आर/2 आर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 6 जून 2016

क्र. 3469-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त (11 एवं 12) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	पाली	छोट तुम्मी	4.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.	छोट तुम्मी जलाशय सिंचाई योजना.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—छोट तुम्मी जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 7 जून 2016

क्र. 1596-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12(1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	गाढ़ा 137	2.130	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव योजना अन्तर्गत महाना वितरक नहर की सब-माइनर क्र.-1 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1598-प्रका. भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (12) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	शुभनाथ	0.800	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव योजना के अन्तर्गत माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 1600-प्रका. भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के

उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
		ग्राम	ग्राम		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
रीवा	त्योंथर	गोंद खुर्द	2.500	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.)	त्योंथर बहाव योजना के अन्तर्गत माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.	

पत्र क्र. 1602-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
		ग्राम	ग्राम		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
रीवा	त्योंथर	खटखरी खुर्द	3.225	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.)	त्योंथर बहाव योजना के अन्तर्गत मुख्य माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.	

क्र. 1604-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
		ग्राम	ग्राम		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
रीवा	त्योंथर	अंतरौली	1.005	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.)	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत माईनर/सबमाईनर नहर निर्माणभूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.	

पत्र क्र. 1606-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	पड़री	2.025	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.)	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु

रीवा, दिनांक 9 जून 2016

क्र. 1608-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में ग्राम चिमटा की अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. अब केवल छोटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा (4) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	मानपुर	चिमटा	1.411	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्र. 3, देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 13 जून 2016

क्र. 4449-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से संबद्ध है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद बनास	जमोडीकला	0.934	उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 4451-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से संबद्ध है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद बनास	जमोडीखुर्द	12.311	उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 4453-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से संबद्ध है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा

दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद बनास	नौगवा धीरसिंह	16.123	उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 4455-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से संबद्ध है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद बनास	नोडिया	6.000	उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 4457-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से संबद्ध है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद बनास	मधुरी कोठार	16.842	उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विशेष गढ़पाले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कुण्डम, दिनांक 15 जून 2016

क्र. 434-भू-अर्जन-प्र. क्र.-02-अ-82-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर द्वारा दरगढ़ जलाशय निर्माण हेतु ग्राम दरगढ़ की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अतिआवश्यक है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				अधिनियम की धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के तहत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	कुण्डम	दरगढ़	निजी भूमि-89.29	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन, कुण्डम.	दरगढ़ जलाशय के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprewevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है. भूमि का नक्शा (प्लान) कालम (5) दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, कुण्डम के कार्यालय में या कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर में किया जा सकता है.

क्र. 436-भू-अर्जन-प्र. क्र.-01-अ-82-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर द्वारा दरगढ़ जलाशय निर्माण हेतु ग्राम किवलारी की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अतिआवश्यक है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				अधिनियम की धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के तहत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	कुण्डम	किवलारी	निजी भूमि-52.95	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन, कुण्डम.	दरगढ़ जलाशय के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprewevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है. भूमि का नक्शा (प्लान) कालम (5) दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, कुण्डम के कार्यालय में या कार्यालय कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेश चन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 28 मई 2016

प्र. क्र.-05-अ-82-वर्ष 2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है, आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(निजी खाता)

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—हटा
(ग) नगर/ग्राम—कुलुवाकलां, तिदनी छोटी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.51 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)

ग्राम—कुलुवाकलां

295/1 में से	0.01
295/2 में से	0.01
176 में से	0.01

ग्राम—तिदनी छोटी

75 में से	0.07
145/1 में से	0.05
76/1 में से	0.10
76/2 में से	0.02
78 में से	0.07
143 में से	0.06
142 में से	0.04
145/2 में से	0.07

कुल योग . . 0.51

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—कुलुवाकलां से रनेह मार्ग निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड हटा तथा कार्यपालन यंत्री,

लोक निर्माण विभाग, दमोह, संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 4 जून 2016

क्र. 1564-प्रका.भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—कोटर
(ग) नगर/ग्राम—बूड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.152 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	एरिया (हेक्ट. में)
(1)	(2)
1	0.036
2	0.292
3	0.199
4	0.922
12/3	0.190
12/2	0.126
9/1	0.042
9/2	0.165
71	0.112
72/2	0.240

(1)	(2)	(1)	(2)
75/2	0.018	375	0.048
75/1	0.024	376	0.320
72/1	0.024	377	0.052
74/1	0.084	378	0.068
66	0.124	381	0.016
67	0.006	382	0.188
63	0.113	383	0.158
54/1/1	0.041	384	0.396
54/2	0.067	385	0.206
54/1/2	0.074	387	0.012
173	0.013	388	0.232
171/2ग	0.072	389	0.200
171/2ख	0.040	439	0.164
171/2क	0.006	441	0.620
171/2	0.016	442	0.105
171/1	0.106	454	0.220

योग . . . 3.152

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की मझगवाँ शाखा नहर के फेज द्वितीय के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1566-प्रका.भू-अर्जन-2016.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम—बराज

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.228 हेक्टेयर.

खसरा क्र.

एरिया

(हेक्ट. में)

(1)

(2)

371

0.085

372

0.052

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की मझगवाँ शाखा नहर के प्रथम फेज के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1568-प्रका.भू-अर्जन-2016.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम—नीमी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.275 हेक्टेयर.

(ग) नगर/ग्राम—बारी कला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.081 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	एरिया (हेक्ट. में)
(1)	(2)
207	0.121
209	0.154
211	0.239
212	0.020
219	0.239
220	0.028
221	0.263
245	0.944
249	0.020
250	0.494
255	0.721
258	0.028
260	0.458
263	0.405
263/312	0.141
योग . .	<u>4.275</u>

खसरा क्र.	एरिया (हेक्ट. में)
(1)	(2)
62	0.008
63	0.076
64	0.134
65	0.150
66	0.036
69	0.275
518	0.235
70	0.130
75	0.271
107	0.235
108	0.207
106	0.202
120	0.021
133	0.194
134	0.162
135	0.130
138	0.130
140	0.052
142	0.048
144	0.478
342	0.239
354	0.052
355	0.052
356	0.004
359	0.231
360	0.259
361	0.016
363	0.028
368	0.105
369	0.150
370	0.024
371	0.026
372	0.093
387	0.425
388	0.381
389	0.081
390	0.105
392	0.021
71	0.028
137	0.052

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की मझगवों शाखा नहर के प्रथम द्वितीय के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1570-प्रका-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रघुराजनगर

(1)	(2)	(1)	(2)
139	0.014	26	0.063
440	0.206	27	0.068
441	0.012	34	0.018
439	0.150	35	0.022
442	0.068	37	0.152
443	0.627	40	0.009
444	0.052	57	0.141
445	0.182	47	0.007
314	0.166	48	0.163
141	0.028	55	0.006
योग . .	<u>7.081</u>	56	0.033
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की मझगवाँ शाखा नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.		62	0.106
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		63	0.035
		64	0.162
		65	0.005
		69	0.164
		70	0.010
		72	0.052
		73	0.080
		77	0.014
		59	0.020
		332	0.053
		334	0.080
		335	0.096
		344	0.006
		346	0.043
		359	0.036
		360	0.003
		361	0.040
		362	0.051
		371	0.178
		17	0.005
		योग . .	<u>2.550</u>
क्र. 1572-प्रका-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की मझगवाँ शाखा नहर के फेज द्वितीय के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.	
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
		क्र. 1574-प्रका-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन	
अनुसूची			
(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—सतना			
(ख) तहसील—कोटर			
(ग) नगर/ग्राम—सेमरी			
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.550 हेक्टेयर.			
खसरा क्र.	एरिया (हेक्ट. में)		
(1)	(2)		
4	0.162		
10	0.003		
11	0.295		
12	0.008		
16	0.057		
18	0.048		
25	0.056		

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—कोटर
(ग) नगर/ग्राम—फरहद
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.042 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	एरिया (हेक्ट. में)
(1)	(2)
204	0.049
206	0.354
207	0.046
208	0.800
209	0.034
212	0.640
213	0.630
214	0.046
236	0.200
210	0.102
238/2	0.144
238/1	0.192
239	0.040
270	0.180
362	0.047
283	0.240
284	0.157
285	0.046
286	0.206
287	0.032
300	0.121
311	0.044
312	0.040
313	0.147
314	0.038
315	0.123
316	0.035
325	0.073
326	0.204
327	0.003
332	0.122
333	0.123
343	0.130
350	0.029
351	0.080

(1)	(2)
352	0.200
353	0.187
354	0.010
359	0.134
360	0.014
योग . .	6.042

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की मझगवाँ शाखा नहर के फेज द्वितीय के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 6 जून 2016

प्र. क्र. 2729-10-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची खाने (2) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, डिंडौरी द्वारा कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन के निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में, उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 19 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा, इस आशय, की सूचना दी जाती हैं, राज्य शासन, द्वारा अनुसूची खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—पुष्पराजगढ़

(ग) ग्राम—खेतगांव, प.ह.नं. 38, रा. निरीक्षक मण्डल, दमेहरी.	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—	408	1.343
सर्वे	409	1.011
क्रमांक	410	0.809
(1)	411/1	0.804
	411/2	0.803
अर्जनीय रकबा	412	0.886
(हे. में)	413	1.356
(2)	414/1	1.522
346/2क, 346/2ख,	414/2	0.407
346/2ग, 346/2घ	415	0.890
347	416	0.470
439	417/1	0.050
350/1	417/2	0.043
350/2	418	0.206
350/3	418/1216	0.146
351/1	419/1	0.210
351/2	419/2	0.155
352/1	419/3	0.352
352/2	420/1	0.675
353	420/2	0.680
354	420/3	0.680
390	420/1217	0.688
391/1	421	1.655
391/2	422	1.526
391/3	423/1	0.445
391/4	423/2	0.405
391/5	423/3	0.202
391/6	424	0.069
392/1क, 392/2, 392/3	425	0.344
399/2	426/1	0.328
399/3	426/2	0.328
400	426/3	0.328
402/1	426/4	0.332
402/2	427	0.866
403/1	428/1क	0.120
403/2	428/1ख	0.487
403/3	428/2	0.587
404/1	429/1	0.654
404/2	429/2	0.651
404/3	430/1	0.411
405	430/2	0.410
406	431	0.372
407/1	432	0.672
407/2/क	433/1	0.729
407/2/ख		
407/2/ग		
407/2/घ		

(1)	(2)	(1)	(2)
433/2	0.728	524/2	0.813
434	0.769	525	0.761
435	0.376	526	1.311
436/1	0.552	527/1	0.292
436/2	0.552	527/2	0.292
437	0.409	527/3	0.291
438/1	0.081	528/1	0.692
438/2	0.081	528/2	0.692
438/3	0.081	528/3	0.688
439	1.558	529/1	0.497
440	0.668	529/2	0.405
441	0.680	530/1	0.498
442/1	0.941	530/2	0.578
442/2	0.972	531	0.684
443/1	0.372	532	0.926
443/2	0.372	533/2	0.162
443/3	0.372	533/3	0.101
444	0.765	533/4	0.202
445	0.737	534	0.138
446	1.080	535/1	0.352
447/1/ग	0.070	535/2	0.356
447/1घ	0.208	536	0.934
447/1/ड	0.208	537	0.704
447/1/च	0.208	538	1.736
447/2क	0.005	540/1	0.248
447/2ख	0.305	540/2	0.248
448	0.607	540/3	0.248
449/1, 449/2	2.712	541	1.202
450/1क, 450/1ख, 450/2	0.150	542/1क	0.736
453	0.245	542/1ख	0.735
454	0.817	542/2	0.245
455/1	0.244	543/1	0.342
455/2	0.244	543/2	0.342
455/3	0.244	544	0.599
456/1, 456/2	0.756	545	1.193
514/1, 514/2	0.020	545	1.133
516	0.195	546/1	0.813
517	0.425	547/2	0.814
518	0.129	548/1	0.822
519	2.148	548/2	0.821
520	0.717	549	1.348
521/1, 521/2	0.944	550	0.255
522	2.549	551/1	0.028
523/1, 523/2	1.279	551/2	0.405
524/1	0.813	552/1	0.280

(1)	(2)	(1)	(2)
552/2	0.279	706	0.048
553	0.433	707	0.206
554	0.591	708/1	0.108
555	0.514	708/2	0.405
556/1	0.680	708/3	0.203
556/2	0.680	709/1क	0.416
557	0.045	709/1ख	0.203
558	0.101	709/2	0.615
559	0.174	710/1क	0.314
560	2.610	710/1ख	0.314
561	0.749	710/2	0.226
562/1, 562/2	1.012	711/1	0.753
566	0.030	711/2	0.878
567	0.130	711/3	0.635
569/1		712/1	0.457
569/2/क, 569/2ख, 569/3	0.371	712/2	0.457
570	0.994	713	0.575
571	1.388	714	0.121
572/1, 572/2	0.352	715	0.405
607/1, 607/2	0.225	716	0.841
628	0.040	717/1	0.045
629	0.230	717/2	0.101
630/1, 630/2, 630/3	0.185	717/3	0.040
631/1, 631/2	0.486	718	0.388
632	0.162	719/1	1.103
633	0.409	719/2	1.011
634/1	1.335	719/3क	0.405
634/2	0.486	719/3ख	0.607
634/3	0.146	719/4	1.011
635	0.089	720/1क	0.696
636	1.072	720/1ख	0.696
637	0.020	720/1ग	0.696
638/1	0.263	720/2क	0.405
638/2	0.263	720/2ख	0.264
639	0.312	720/3	0.267
640/1/क, 640/1/ख		720/4	0.809
640/1ग, 640/2,	0.917	720/5	0.405
640/3, 640/4		721	1.327
641/1, 641/2	0.560	722	0.360
672	0.050	723	0.765
673/1, 673/2, 673/3	0.268	724	0.825
675	0.081	725	0.429
676/1, 676/2	0.170	727	0.502
705	0.016	728	0.829

(1)	(2)	(1)	(2)
729/1	0.619	770	0.239
729/2	0.623	772	0.567
729/3	0.202	773	0.356
729/4	0.421	774	0.360
730/1	1.182	775	0.565
730/2	0.340	778/1, 778/2,	0.004
731/1	1.205	778/3, 778/4	
731/2	0.405	779	0.070
732	1.056	795/1/क	0.028
733/1	0.651	795/1/ख	
733/2	0.405	795/2	
734	1.003	868/1, 868/2,	0.445
735/1	0.522	868/3, 868/4	
735/2	0.522	871/1, 871/2,	0.955
736	0.959	871/3, 871/4, 871/5	
737	0.494	872/1, 872/2	
738/1	0.214	873/1, 873/2	0.032
738/2	0.224	887/1, 887/2	0.202
738/3	0.255	888/1, 888/2/क,	3.135
738/4	0.255	888/2/ख, 888/3,	
740/1, 740/2,	0.222	888/4, 888/5	
740/3, 740/4		890/1, 890/2	0.012
742/1, 742/2, 742/3	1.455	892/1क	0.146
755	0.198	892/1ख	0.140
756/1/ख	0.094	892/1ग	0.136
756/2	0.583	892/2	0.413
756/3	0.578	893/1	0.188
756/4	0.109	893/2	0.168
757	0.530	893/3	0.188
758	0.894	893/4	0.189
759	0.081	894	1.137
760/2	0.809	895/1	0.209
760/3	0.530	895/2	0.288
761/1	0.283	896	1.145
761/2	0.283	897	0.636
761/3	0.283	898	0.393
763	0.534	899	0.934
764/1	0.081	900	0.239
764/2	0.079	902	1.100
765	0.192	903/1	0.663
766	0.380	903/2	0.494
767/1, 767/2	0.523	904/1	0.504
768	0.101	904/2	0.504
769	0.612	905	1.060
		906	0.802

(1)	(2)	(1)	(2)
907	0.206	1033	0.401
908/1	0.619	1034/1	0.624
908/2	0.619	1034/2	0.624
909/1	0.522	1035/1	0.305
909/2	0.522	1035/2	0.305
910	0.729	1036	0.364
911	0.077	1037	0.417
912	0.510	1038	1.145
913	0.303	1039	1.291
914	0.300	1040	0.162
915	0.008	1041	0.615
916/1, 916/2	0.008	1042/1	0.287
917	0.445	1042/2	0.287
918/1, 918/2	0.020	1042/3	0.287
924	0.405	1042/4	0.287
925	0.227	1044	0.615
926	0.785	1045	1.566
927	1.518	1046	2.039
928	0.725	1047/1	1.600
930	0.036	1047/2	0.152
1002/1, 1002/2,	0.101	1048	0.624
1002/3, 1002/4		1049	0.417
1003/1क, 1003/1ख,	0.880	1050/1	0.587
1003/2		1050/2	0.587
1004/1	0.132	1050/3	0.587
1004/2	0.132	1051/4	1.086
1005/1	0.131	1052/1	0.405
1005/2क	0.303	1052/2	0.235
1005/2ख	0.302	1053	1.230
1005/3	0.121	1054	1.104
1005/4	0.262	1055	0.105
1005/5	0.101	1056/1	1.807
1006/1	0.474	1056/2	0.809
1006/2	0.473	1057/1	0.710
1006/3	0.473	1057/2	0.216
1007	0.186	1057/3	0.405
1008	0.190	1058	0.841
1009	0.171	1059	1.088
1010	0.185	1060/1	0.777
1028/1	0.524	1060/2	0.777
1028/2	0.524	1061	1.023
1029	0.332	1062/1	0.255
1031	0.308	1062/2	0.405
1032/1	0.384	1063	0.490
1032/2	0.380	1064/1	0.916

(1)	(2)	(1)	(2)
1064/2	0.508	1095	2.711
1065/1	0.477	1096	0.368
1065/2	0.405	1097/1	0.294
1066/1	0.590	1097/2	0.292
1066/2	0.202	1097/3	0.295
1066/3	0.202	1098	0.308
1067	0.640	1099	1.076
1068	3.423	1103	0.490
1069/1	1.765	1104/1	0.073
1069/2क	0.101	1104/2	0.028
1069/2ख	0.101	1104/3	0.028
1069/3	0.202	1104/4	0.024
1069/4	0.405	1105	0.105
1070/1	1.600	1106/1	0.348
1070/2	0.352	1106/2	0.345
1071/1	0.518	1106/3	0.348
1071/2	0.518	1107	0.619
1072	0.454	1108	0.263
1073	1.056	1110/1	0.385
1074	0.906	1110/2	0.384
1075	1.562	1111/2	0.089
1076/1	1.036	1112	1.817
1076/2	0.506	1114	1.781
1076/3	0.303	1115/1	0.492
1077/1	0.303	1115/2	0.492
1077/2	0.316	1116/1	0.180
1078/1	1.215	1116/2	0.184
1078/2	0.810	1117	0.648
1079/2	0.101	1118/1	1.315
1079/3	0.061	1118/2	1.319
1079/4	0.202	1119	0.170
1080	1.242	1120/1	0.696
1081	1.457	1120/2	0.696
1082	0.467	1121/2	0.202
1083	0.882	1121/3	0.101
1084	0.384	1121/4	0.202
1085/1	0.894	1121/5	0.214
1085/2	0.890	1121/6	0.142
1086	0.737	1122	0.704
1087	0.833	1123	0.789
1088	0.421	1124	0.765
1089	0.190	1125	1.197
1090	0.109	1126/1	0.472
1091/1	0.152	1162/2	0.464
1092/2	0.156	1126/3	0.464
1092/1	0.164	1127/1	0.252
1092/2	0.164	1127/2	0.244
1093	0.109		
1094	0.219		

(1)	(2)	(1)	(2)
1127/3	0.248	1149/3	0.266
1128/1	0.919	1150	0.259
1128/2	0.919	1151/1	1.336
1129/1	0.241	1151/2	1.352
1129/2	0.241	1151/3	1.336
1130/1	0.263	1152/2	0.202
1130/2	0.263	1152/3	0.202
1131	0.210	1153	0.700
1132/2	0.040	1154	0.644
1132/3	0.405	1157	0.129
1132/4	0.405	1158/1	0.266
1133	0.134	1158/2	0.266
1134/1	0.342	1158/3	0.266
1134/2	0.342	1159/1	0.477
1135/1	1.076	1159/2	0.478
1135/2	1.076	1159/3	0.478
1136	0.466	1160	0.934
1137/1	0.910	1161/1	0.151
1137/2/1	2.890	1161/2	0.152
1137/2/2	0.668	1161/3	0.151
1137/2/3	0.142	1162/1क	0.368
1138/1	0.548	1162/1ख	0.372
1138/2	0.548	1162/2	0.809
1139	1.072	1163/2	0.134
1140	0.563	1163/3	0.210
1141	0.741	1164	0.405
1142	0.583	1165	1.728
1143	0.223	1167	1.449
1144	1.096	1168	0.125
1145/1	0.237	1169/1	1.360
1145/2	0.476	1169/2	0.914
1146/1	0.388	1170	0.040
1146/2	0.777	1172	0.251
1147	0.454	1173/1क	0.405
1148/2क	0.020	1173/1ख	0.405
1148/2ख	0.020	1173/1ग	0.405
1148/2ग	0.020	1173/2क	0.680
1148/2घ	0.020	1173/2ख	0.680
1148/3	0.020	1173/3	0.405
1148/4	0.304	1174/1	0.433
1148/5	0.243	1174/2	0.433
1149/1	0.264	1175	0.781
1149/2क	0.128	1176/1	0.462
1149/2ख	0.132	1176/2	0.462

(1)	(2)
1177	4.006
1178	2.120
1180/1	0.736
1180/2	0.740
1180/3	0.736
1181/1	0.411
1181/2	0.412
1181/3	0.411
1182	0.498
1183/1	0.580
1183/2	0.584
1183/3	0.580
1183/4	0.584
1184	0.700
1185	0.380
1186/1	0.081
1186/2	0.170
1187	0.789
1188	0.336
1189/1	0.077
1189/2	0.405
1190	0.555
1191	2.772
1192/1	0.360
1192/2	0.340
1192/3	0.340
1193/1क	0.604
1193/1ख	0.608
1193/2	1.226
1194/1	0.154
1194/2	0.154
1194/3	0.420
1196	1.505
1197	1.570
1198/1	0.083
1198/2	0.601
1199/1	0.134
1199/2	0.133
1199/3	0.134
1200/1क	0.588
1200/1ख	0.588
1200/2	1.176
1201/1	0.203
1201/2	0.203
1202	1.250
1203	0.328
1205/1	0.086
1205/2	0.170
1205/3क	0.084

(1) (2)

1205/3ख	0.084
1205/4	0.170
1205/5	0.304
1206/1क	1.096
1206/1ख	1.092
1206/2	2.213
1207	1.963
1209	0.769

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास शाखा, कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर एवं कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.1, डिंडौरी में किया जा सकता है।

(3) धारा 19 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नाम कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-01, डिंडौरी।

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना।

प्र. क्र. 2730-10-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (3) में वर्णित भूमि की, अनुसूची खाने (छ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने कि संभावना है। कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, डिंडौरी द्वारा कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन के निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में, उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 19 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती हैं। राज्य शासन, द्वारा अनुसूची खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—अनूपपुर

(ख) तहसील—पुष्पराजगढ़

(ग) ग्राम—धाठा, प.ह.नं. 66, रा. निरीक्षक मण्डल दमेहरी.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—

सर्वे क्रमांक (1)	अर्जनीय रकबा (हे. में) (2)	(1)	(2)
		71	0.049
		72	0.150
		73/2/1/क	0.110
61/2, 61/3, 61/4,		73/2/1ख	0.109
61/5क, 61/5ख, 61/5ग,		73/2/2	0.186
61/6, 61/7, 61/8, 61/9,		73/3/क	0.202
61/10, 61/11, 61/12क,		73/3/ख	0.303
61/12ख, 61/12ग, 61/13,		73/3/ग	0.303
61/14क, 61/14ख, 61/15क,	4.197	73/4/क	0.203
61/15ख, 61/16, 61/17,		73/4/ख	0.202
61/18, 61/19, 61/20, 62/2,		73/5	0.081
62/3, 62/4, 62/5		73/6	0.101
64/1ख	0.020	73/7	0.303
64/2	1.214	73/8	0.084
64/3क	0.676	75/2/क	0.154
64/3ख	1.348	75/2/ख/1	0.038
64/4क	0.141	75/2/ख/2	0.056
64/4ख	0.142	75/2/ख/3	0.056
64/5क	0.138	75/3	0.202
64/5ख	0.672	75/4/क	0.089
64/6	0.809	75/4/ख	0.077
64/7	0.405	75/4/ग	0.170
64/8	0.101	75/5/क	0.032
64/9	0.109	75/5/ख	0.032
65	1.416	75/5/ग	0.032
66/1	0.721	75/5/घ	0.032
66/2	0.720	75/5/ड	0.032
67/1	0.555	75/6	0.129
67/2	0.545	75/7	0.101
68/1	0.251	75/8	0.028
68/2क	0.123	75/9	0.040
68/2ख	0.124	75/10	0.040
69/2/क	0.121	76/1	0.405
69/2/ख	0.121	76/2	0.420
69/2/ग	0.121	77	0.175
69/2/घ	0.121	78/2	
69/2/ड	0.121	78/3	
69/3	0.405	78/4	
69/4	0.405	78/5/क	
69/5	0.809	78/5/ख	0.375
69/6/क	0.061	78/5/ग	
69/6/ख	0.060	78/5/घ	
69/7	0.364	78/6	
69/8	0.230	78/7	
70	0.097		

(1)	(2)	(1)	(2)
83/1	0.075	159/1	1.170
83/2		159/2	
84/1		159/3	
84/2/1		160	0.526
84/2/2		161	0.077
84/3	0.107	163	2.120
84/4/क		164/1	0.549
84/4/ख		164/2	0.549
86/1		164/3	0.549
86/2/क	0.085	165/1	0.599
86/2/ख		165/2	1.214
88/1	0.045	165/3	0.809
88/2	0.049	165/4	1.003
89/1	0.129	166/1	1.023
89/2	0.129	166/2	1.024
90	0.235	166/380	0.486
91	0.113	168	0.356
92	0.668	169/1	0.202
93	0.376	169/2	0.085
94/1	0.876	170	0.065
94/2	0.809	171/1	0.421
95/1		171/2	0.623
95/2		172/1	0.816
95/3		172/2	0.821
95/4/क		173	1.102
95/4/ख	3.795	174/1	0.223
95/5/क		174/2/क	0.113
95/5/ख		174/2/ख	0.057
95/6		174/2/ग	0.057
95/7		175/1	0.502
96/1	0.785	175/2/क	0.253
96/2/क	0.393	175/2/ख	0.126
96/2/ख	0.392	175/2/ग	0.127
97/1	0.401	176/1	0.360
97/2/क	0.196	176/2/क	0.140
97/2/ख	0.197	176/2/ख	0.069
98/1	0.680	176/2/ग	0.070
98/2	0.680	177/1	0.409
99	0.700	177/2/क	0.145
100	1.235	177/2/ख	0.073
103	0.085	177/2/ग	0.073
104	0.023	178/1	0.121
157/1	0.475	178/2/क	0.060
157/2		178/2/ख	0.030
		178/2/ग	0.031

(1)	(2)	(1)	(2)
179	0.632	205	0.300
180/1	0.486	206/1	0.029
180/2	0.230	206/2	0.014
180/3	0.255	206/3	0.014
181/1	0.230	208/1	0.016
181/2	0.590	208/2	0.008
181/3	0.271	208/3	0.008
181/4	0.105	209/1	0.049
182/1	0.134	209/2	0.121
182/2	0.234	209/3/क	0.022
183/1	0.449	209/3/ख	0.011
183/2/क	0.227	209/3/ग	0.012
183/2/ख	0.113	210	0.930
183/2/ग	0.114	212	0.231
184	0.575	213/1	1.618
185	2.084	213/2	0.522
187/1	0.370	213/3	0.523
187/2	0.365	214/1	0.186
188	1.169	214/2/क	0.093
189	1.153	214/2/ख	0.093
191	0.344	215	0.251
192/1	0.338	216/2	0.231
192/2	0.330	217/1	0.115
193/1	1.019	217/2	0.116
193/2/क	0.513	218/1	0.380
193/2/ख	0.510	218/2	0.381
194/1	0.656	218/3/क	0.216
194/2	0.275	218/3/ख	0.217
195	0.571	219	0.433
196	0.263	220/2	0.081
197/2	0.243	220/3	1.133
197/3	0.081	220/4	0.607
197/4	0.405	221	0.045
197/382	0.049	222	0.926
197/383	0.065	223	1.380
198/1/क	0.239	224	0.206
198/1/ख	0.238	225/1	0.295
198/2	0.478	225/2	0.295
199/1	0.222	226	0.611
199/2	0.061	227/1	0.273
200	0.186	227/2	0.274
201	0.036	228/1	0.290
202	0.040	228/2	0.289
203	0.053	229/1	0.979
204/2	0.405	229/2/क	0.489

(1)	(2)	(1)	(2)
229/2/ख	0.356	239/1	1.520
229/2/ग	0.134	239/2	
230/1	0.607	240	2.967
230/2	0.798	241/1	
231/2	0.405	241/2	0.427
231/3	0.405	241/3	
231/4	0.101	241/4	
232	0.154	243/1	
233/1/1	0.665	243/2	0.476
233/1/2	0.666	243/3	
233/2/1	0.263	244	0.910
233/2/2	0.263	245	3.601
234/1	0.202	245/385	1.173
234/2	0.405	246	0.761
234/3	1.052	247	1.371
234/4	0.434	248	3.105
234/5/क	0.065	249/1/1	0.546
234/5/ख	0.069	249/1/2	0.061
234/5/ग	0.138	249/2	0.247
234/5/घ	0.069	250/1	0.259
234/6	0.809	250/2	0.396
384/1	0.506	250/3	0.401
384/2	0.505	251/1	0.955
235	0.506	251/2	0.716
236/1/1	0.053	252/1	0.571
236/1/2	0.405	252/2	0.485
236/1/क	0.506	252/3	0.575
236/1/ख	0.506	252/4/क	0.905
236/1/ग	0.506	252/4/ख	0.306
236/1/घ	0.053	252/4/ग	0.533
236/2/क	0.275	253/1	1.007
236/2/ख	0.267	253/2	1.214
236/2/ग	0.267	254	1.092
236/2/घ	0.181	255	0.409
237/2	0.040	256/2	0.202
237/3		256/3	0.405
238/1/क		257	0.101
238/1/ख		258	0.809
238/1/ग		259	0.705
238/1/घ		260	0.279
238/1/ड		261	0.773
238/2/क	0.630	262/1	0.143
238/2/ख		262/2	0.144
238/2/ग		263	0.125
238/2/घ		264/1	0.405
238/2/ड		264/2	0.441
238/3			

(1)	(2)	(1)	(2)
265/1/क	0.251	293/3	0.150
265/1/ख	0.250	293/4	0.056
265/2	0.506	294	0.854
266/1	0.231	295	0.583
266/2	0.231	296/1	0.708
267	0.308	296/2	0.664
268	0.332	297	0.644
269	0.194	298/1	0.202
270	0.219	298/2	0.109
271	0.971	298/3	0.607
272/1/क	0.567	298/4	0.607
272/1/ख	0.445	299/1	0.202
272/2	0.324	299/2	0.405
272/3	1.133	299/3	0.170
273	0.571	300	0.922
274/1	0.922	301/1/1	0.453
274/2	0.405	301/1/2	0.453
275	0.607	301/2	0.202
276	0.898	301/3	1.011
277	0.961	303/1	0.142
278	1.070	303/2	0.194
279/1	0.809	304/1	0.809
279/1	0.372	304/2	1.283
280	0.971	306/1	0.069
281/1	0.154	306/2	0.405
281/2	0.251	306/3	0.405
281/3	0.138	307/1	0.664
281/4	0.303	307/2	0.809
281/5	0.121	308	0.356
282	0.684	309	1.291
283	1.167	310/1	0.281
284	0.555	310/2	0.356
285	0.784	311/1	0.837
286/1	0.181	311/2	0.194
286/2	0.607	312	0.219
287	0.611	313/1	0.470
288/1	0.202	313/2	0.101
288/2	0.061	314/1/1	0.272
288/3	0.093	314/1/2	0.186
289	0.611	314/1/3	0.125
290	0.632	314/2	0.101
291	0.498	315/1	0.223
292/1	0.405	315/2	0.222
292/2	0.309	315/3	0.085
293/2	0.101	315/4	0.146

(1)	(2)	(1)	(2)
316/1	0.048	345/2	0.053
316/2	0.480	346	1.084
317/1	0.130	347	1.882
317/2	0.133	348	0.862
318/1	1.010	349	0.368
318/2/क	0.605	350	0.587
318/2/ख	0.405	351	1.210
319/1	0.198	352	0.177
319/2	0.341	353	0.405
320/1/क	0.478	354	0.304
320/1/ख	0.405	355/1	0.514
320/2	0.486	355/2	0.202
321/1	0.322	356	0.737
321/2	0.322	357	0.786
322	0.295	358/1	0.202
323/1	0.237	358/2/1	0.433
323/2	0.237	358/2/2	0.466
324	0.474	358/2/3	0.202
325	0.910	359	0.926
326	1.064	360/1/2/क	0.202
329/1	0.243	360/1/क/1	0.307
329/2	0.622	360/1/क/2	0.202
330	1.923	360/1/ख	0.405
331	0.178	360/2	0.405
332	0.125	361/1	0.546
333	0.186	361/2	0.498
334	0.506	362	0.765
335/1	0.290	363	0.628
335/2	0.289	364	1.123
336/1	0.304	365/1	0.126
336/2	0.809	365/2	0.202
336/3	2.315	366/1/क	0.341
337	0.615	366/1/ख	0.202
338/1	0.878	366/2	0.809
338/2	0.647	366/3	0.809
338/370	0.753	367	0.364
339	0.352	368	0.247
340	0.486	369	0.753
341	1.769		
342	0.105		
343/1/क	0.349		
343/1/ख	0.405		
343/2	0.746		
343/3	0.841		
344	0.182		

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास शाखा, कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर एवं कार्यालय, कार्यपालन यंत्रि, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, डिण्डोरी में किया जा सकता है.
- (3) धारा 19 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नाम, कार्यपालन यंत्रि, नर्मदा विकास संभाग क्र.-1, डिण्डोरी.
- (4) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना.

प्र. क्र. 2739-10-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची खाने (2) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, डिंडौरी द्वारा कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन के निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में, उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 19 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, द्वारा अनुसूची खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर

(ख) तहसील—पुष्पराजगढ़

(ग) ग्राम—ठाडपाथर, प.ह.नं. 63, रा. निरीक्षक मण्डल दमेहरी.

सर्वे क्रमांक (1)	अर्जनीय रकबा (हे. में) (2)	(1)	(2)
132/1/क	0.000	153/3	1.275
132/1/ख	0.010	153/4	0.000
132/2	0.000	154	0.856
133/2	0.202	156	0.117
141	0.603	157	1.927
142	1.026	158	0.854
143	3.473	159	0.918
144	0.737	171/1/क	0.000
146/1	0.598	171/1/ख	0.454
146/2	0.498	171/2	0.000
147	0.530	171/3	0.000
148/1	0.599	172	0.055
148/2	0.101	173/2	0.020
149	1.108	176	0.697
150	1.489	176/667	0.022
151	1.477	280/661	0.942
152	2.493	284/1	0.000
153/1	0.000	284/2	0.030
153/2	0.000	284/3	0.000
		285	0.052
		296/1	0.000
		296/2	0.812
		296/3	0.000
		296/4	0.000
		297	0.255
		298/1	0.456
		298/2	0.582
		293/3	0.593
		298/4	0.125
		298/5	0.125
		299	0.129
		300/1	0.227
		300/2	0.077
		301	0.304
		301/1	0.040
		301/2	0.065
		303/1	1.295
		303/2	1.299
		305	0.336
		310	0.228
		311/1	0.000
		311/2	2.412
		311/3	0.000
		312/1/क	0.266

(1)	(2)	(1)	(2)
312/1/ख	0.266	349	0.906
312/2	0.405	350	0.991
313/1	0.304	351/1	0.813
313/2	0.306	351/2	0.814
314	0.445	352/1	1.283
315	0.287	352/2/क	0.644
317	0.182	352/2/ख	0.644
318/1	0.655	353	0.684
318/2	0.251	354/1	0.176
319	1.238	354/2	0.176
320/1	1.580	355/1	0.202
320/2	1.580	355/2	0.571
320/3	1.580	356/1	0.441
321	0.049	356/2	0.093
324	0.053	357/1	0.223
325	0.700	357/2	0.372
327	0.206	358/1	1.793
328/1	0.611	358/2	1.384
328/2	0.611	359	3.727
329	0.773	360	0.821
330	0.020	361/1	0.246
331/1	0.801	361/2	0.241
331/2	0.680	361/3	0.428
332	1.093	361/4	0.234
333/1	0.210	361/5	0.243
333/2	0.178	362	0.761
333/3	0.244	363	0.283
334	1.607	364/1	0.458
335	0.644	364/2	0.121
337	0.482	365	0.158
339	0.729	366	1.242
340/1	0.206	367/1	0.059
340/2	0.176	367/2	0.890
340/3	0.177	367/3	1.303
341	0.040	368/1	0.403
342/2	0.304	368/2	0.751
343	0.247	368/3	0.679
344	1.639	370/1	0.506
345	0.808	370/2	0.505
346/1	0.359	371	0.717
346/2	0.392	372	0.802
346/3	0.325	373	1.044
347	1.684	374	1.108
348	1.748	375	1.396

(1)	(2)	(1)	(2)
376/1	0.607	402/1	0.116
376/2	0.126	402/2	0.346
377/1	0.361	403/1	0.116
377/2	0.239	403/2	0.065
377/3	0.028	404	0.543
378/1	0.332	405	0.061
378/2	0.809	406	0.413
379/1	0.661	406/663	0.190
379/2	0.654	407	0.057
380	0.526	408/1	0.182
381	0.465	408/2	0.081
382/1	0.543	408/3/क	0.303
382/2	0.962	408/3/ख	0.303
383/1	0.218	409/1/क	0.481
383/2	0.482	409/1/ख	0.481
384	0.372	409/2/क	0.319
385/1	0.041	409/2/ख	0.319
385/2	0.303	409/2/ग	0.324
386	0.425	410/1	0.196
387	0.551	410/2	0.195
388/1	0.425	410/3	0.196
388/2	0.429	411/1	0.301
389	0.749	411/2	0.303
390/1	0.425	411/3	0.303
390/2/1	0.214	411/4	0.303
390/2/2	0.210	412	0.692
391	0.380	413	0.049
392	0.462	414/1	0.951
393	0.384	414/2	0.024
394	0.648	415	0.668
395	0.597	416/1	0.316
396/1	0.363	416/2	1.011
396/2	0.604	416/3	1.011
397	0.640	416/4	1.011
398	0.458	417	0.696
399/1	0.198	418	0.510
399/2	0.198	419/1	0.065
400/1	0.121	419/2	0.061
400/2	0.373	420/1/क	0.258
401/1	0.389	420/1/ख	0.401
401/2	0.024	420/1/ग	0.025

(1)	(2)	(1)	(2)
420/2	0.688	455/1	0.023
421	0.709	455/2	0.022
422/1	0.187	456	0.162
422/2	0.129	457	0.097
423/1	0.238	458/1	0.238
423/2	0.191	458/2	0.238
424	1.011	459	0.129
425	0.216	460	0.632
426/1	0.139	461/1	0.712
426/2	0.391	461/2	0.708
427	0.486	462	1.068
428/2	0.283	463	0.206
428/3	0.101	464	0.372
429	0.902	465	0.841
430	2.979	466/1	0.223
431	1.088	466/2	0.227
432	0.530	467/1	0.341
433	0.089	467/2	0.341
434	0.198	468/1	0.751
435	0.097	468/2	0.758
436	0.065	469	0.547
437/1	0.024	470	0.190
437/2	0.024	471	0.474
437/3	0.028	472/1	0.073
437/4	0.028	472/2	0.073
439	0.045	472/3	0.106
440	0.069	473/1	0.469
441	0.057	473/2/क	0.286
442	0.053	473/2/ख	0.182
443	0.121	473/3	0.026
444/2	0.093	474/1	0.103
445	0.077	474/2	0.103
447/1	0.020	474/3	0.102
447/2	0.020	475	0.425
447/3	0.019	476/1	0.587
447/4	0.016	476/2	1.137
450	0.101	477	1.011
454/1	0.023	478	1.104
454/2	0.022	479	1.821
454/3	0.022	480/1	0.788
454/4	0.022		

(1)	(2)	(1)	(2)
480/2	0.405	505/3	0.202
481/1	0.352	506/1	0.332
481/2	0.348	506/2	0.336
481/3	0.348	507	1.044
482/1	0.230	508	1.384
482/2	0.230	509	0.109
482/3	0.230	510/2	0.101
482/4	0.230	510/3/1	0.049
483/1	0.688	510/3/2	0.052
483/2	0.688	510/4	0.202
484	1.080	511	2.513
485	1.078	512/1	0.260
486/2	0.314	512/2	0.536
486/3	0.303	513	1.104
486/4/क	0.142	514	0.817
486/4/ख	0.081	515/1	1.121
486/4/ग	0.081	515/2	0.745
488	0.999	516	0.198
489	1.501	517	0.967
489/674/1	0.486	518/2	0.101
490	0.668	519	0.717
491	1.049	520/1/1	0.434
492/1	0.938	520/1/2	0.052
492/2	0.849	520/2	0.049
493	0.841	521	0.757
494	0.575	522	0.109
495/1/1	0.247	523	0.624
495/1/2	0.252	525	1.445
495/1/3	0.252	526	1.793
495/2	0.755	527/1	1.005
496	0.902	527/2	1.005
497	0.595	527/3	1.005
498/1	0.509	527/4	1.005
498/2	0.510	527/5	1.006
499/1	0.988	528	0.773
499/2	0.983	529	0.583
500	0.510	530/1	0.056
501	0.567	530/2	0.057
502	0.886	531	0.902
503	0.150	532/1	0.425
504/1	0.405	532/2	0.435
504/2	0.445	533/1	0.097
505/1	0.648	533/2	0.097
505/2	0.202	534	1.534
		535/1	0.283

(1)	(2)	(1)	(2)
535/2	1.086	559/2	0.036
536/1/1	0.101	560	0.146
536/1/2	0.413	561/1	0.045
536/1/3	0.413	561/2	0.032
536/2	0.384	562	0.077
537	0.405	563/1	0.045
538/1	0.162	563/2	0.048
538/2	0.202	563/669	0.008
539	0.813	564	0.093
540/1	0.454	564/670	0.008
540/2	0.466	566/2/1	0.013
541/1	1.157	566/2/2	0.149
541/2	1.157	566/671	0.097
541/3	0.474	567	0.259
542/1	1.556	568/1	0.170
542/2	0.113	568/2	0.081
543/1	0.113	568/3	0.117
543/2	0.444	568/4	0.101
544	0.470	569/1/ख	0.061
545/1	0.592	569/2/1	0.028
545/2	0.356	569/2/2	0.024
546	0.245	569/2/3	0.024
547/1	0.494	569/2/4	0.024
547/2	0.401	569/3	0.101
548	0.793	569/4/1	0.004
549/1	0.091	569/4/2	0.008
549/2	0.708	569/5	0.101
550	0.330	569/6	0.020
551	0.202	569/7	0.121
552/2	0.405	569/8	0.109
553	0.530	569/9/क	0.061
554	0.332	569/9/ख	0.040
555/1	0.097	570/1	0.210
555/2	0.097	570/2	0.405
555/3	0.101	571	0.741
556/1	0.284	572	2.379
556/3	0.235	573/1	0.644
557/1	0.267	573/2	0.639
557/2	0.405	574	0.680
558/1/1	0.141	575	0.688
558/1/2	0.141	576/1/क	0.407
558/1/3	0.140	576/1/ख	0.250
558/2/1	0.166	576/2/क	0.164
558/2/2	0.036	576/2/ख	0.809
559/1	0.057	576/2/ग	0.686

(1)	(2)	(1)	(2)
577	2.063	600/2/ग	0.498
578	1.667	600/2/घ	0.324
579/2	0.202	600/2/ङ	0.324
579/3	0.202	600/2/च	0.405
579/4	0.405	600/3/क/1	0.488
580/1	0.077	600/3/क/2	0.488
580/2	0.073	600/3/क/3	0.489
581	0.543	600/3/क/4	0.488
582/1	0.303	600/3/ख	0.607
582/2	0.405	601/1	0.160
582/3	0.405	601/2	0.451
582/4	0.405	602/1	0.579
582/5	0.405	602/2/क	0.329
583	0.129	602/2/ख	0.254
584	0.085	602/3	0.587
585	0.146	602/4/क	0.049
585/672	0.008	602/4/ख	0.052
586/1	0.154	602/674/2	0.324
586/2	0.061	602/675	0.012
587/1	0.036	602/676	0.008
587/2	0.032	602/677	0.008
588	0.040	602/678	0.008
589/1/क	0.186	603/2	0.061
589/1/ख	0.101	603/3	0.061
589/1/ग	0.040	603/4	0.061
589/1/घ	0.101	603/5	0.101
589/1/ङ	0.222	603/6	0.202
589/2	0.672	604/1	0.061
590/1	0.077	604/2/क	0.054
590/2	0.077	604/2/ख	0.054
591	0.138	604/2/ग	0.054
592	0.530	604/3	0.061
594	0.049	604/4/क	0.020
595	0.154	604/4/ख	0.020
596/1	0.069	605/1	0.170
596/2	0.073	605/2	0.170
597/1	0.077	606/1/क	0.081
597/2	0.077	606/1/ख	0.081
599/1	0.542	606/2	0.150
599/2	0.320	607/1	0.330
599/673/1	0.526	607/2	0.330
599/673/2	0.542	608	0.012
600/1/क	0.546	609	1.461
600/1/ख	0.546	610/1	1.548
600/1/ग	0.546	610/2	1.548
600/1/घ	0.405	610/3/1	0.166
600/1/ङ	0.405	610/3/2	0.170
600/2/क	0.498	611	1.214
600/2/ख	0.498	612	0.352
		614	1.113
		615	0.586

(1)	(2)
617	0.384
618	0.506
619/1	0.160
619/2	0.160
620/1	0.738
620/2	0.729
621/1	1.753
621/2	1.757
622/1	0.413
622/2	0.409
623/1	1.044
623/2	1.044
623/3	1.044
624	0.991
625	1.801
626	1.599
627/1	0.276
627/2	0.275
627/3	0.081
628	0.785
629	0.777
630/1	0.656
630/2	0.656
631/1	0.959
631/2	0.964
632/1	0.344
632/2	0.348
632/669	0.008
633/1	0.036
633/2	0.405
633/3	0.202
634	0.628
635	0.373
363	0.482
637	1.202
638	0.967
639	0.607
640	0.231
641	0.065
642/1	0.454
642/2	0.454
643	0.356
644/1	0.150
644/2	0.384
645	0.304
647/1	0.346
647/2	0.202
647/3	0.202
648	0.632
649	0.429
650	0.016
651	0.032

(1)	(2)
652	0.405
653/1	0.607
653/2	0.603
654	0.212
655	0.121
656/1	0.302
656/2	0.204
657	0.174
658/1	0.380
658/2	0.380
658/3	0.379
658/4	0.379
658/5	0.379

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास शाखा, कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर एवं कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-1, डिण्डौरी में किया जा सकता है।

(3) धारा 19 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नाम, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, डिण्डौरी।

(4) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र सिंह परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 16 जून 2016

प्र. क्र. 30-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—नारायणपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.280 हेक्टेयर।

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
124	0.060
130	0.100

(1)	(2)
125	0.060
40/मिन 1	0.060
योग . .	0.280

(1)	(2)	(3)
3478/3	0.120	निजी भूमि
3474/2	0.040	निजी भूमि
3478/1ख	0.180	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि.	0.970	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शीतला माता शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 15 जून 2016

प्र. क्र. 067-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—महेबा, प.ह.नं. 45
(घ) क्षेत्रफल—0.970 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
3469	0.120	निजी भूमि
3470	0.280	निजी भूमि
3473/1	0.120	निजी भूमि
3473/3	0.030	निजी भूमि
3474/1	0.080	निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बेहरासर मार्ग (महेबा से बेहरासर) योजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 10 जून 2016

प्र. क्र. 03-अ-82-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—छतरपुर
(ग) नगर/ग्राम—चन्द्रपुरा (पूरक)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.016 हेक्टेयर एवं परिसंपत्ति.

भूमि खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
391/6	0.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—ललितपुर-सिंगरौली (खजुराहो) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, भू-अर्जन कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.